लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३२, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXII, 1964/1886 (Saka)

[२७ मई से ५ जून, १९६४/६ ज्येष्ठ से १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)]

(May 27 to June 5, 1964/Jyaistha 27 to Jyaistha 15, 1886 (Saka))

आठवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

(Eighth Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३२ में अंक १ से ७ तक हैं)

(Volume XXXII contains Nos. 1 to 7)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड ३२—आठवां सत्र, १९६४]

अंक ६—गुरुवार, ४ जून, १९६४/१४ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		४४७—७२
तारांकित		
प्रश्नसंख्या		
१५२	जल चालित बिजलीघर	४४७—५०
१५३	विदेशी सहायता का उपयोग	४५०—५३
१५४	वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	४५३—५८
१५६	लागत में कमी सम्बन्धी विभाग	४५८—५९
१५७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रोजगार देने सम्बन्धी विचार गोष्ठी	४५९—६१
१५८	"पैट्रियट" के अंशधारी	४६१—६२
१५९	दिल्ली में पानी की कमी	४६३—६६
१६०	स्वर्ण नियंत्रण आदेश	४६६—६९
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१	रामगंगा बांध	४६९—७१
२	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	४७१—७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		४७३—५०३
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१५५	योजना के लक्ष्यों में कमी	४७३
१६१	ग्राम सुधार कार्यक्रम	४७३
१६२	भारत सहायता "क्लब"	४७४
१६३	दामोदर घाटी निगम	४७४—७५
१६४	माना शिविर	४७५
१६५	कृष्णा–गोदावरी नदी जल-विवाद	४७५—७६
१६६	दिल्ली में मकान-निर्माताओं को सुविधायें	४७६—७७
१६७	ग्राम्य जल सम्भरण	४७७
१६८	नेफा में शरणार्थियों का पुनर्वास	४७७—७८
१६९	आय कर अधिकारियों द्वारा जांच	४७८
१७०	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	४७८—७९
१७१	परिवार नियोजन के लिए गर्भनिरोधक वस्तुयें	४७९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXXII Eighth Session, 1964]

No. 6—Thursday, June 4, 1964/Jyaistha 14, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 447—62

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
152	Hydraulic Power Stations	447—50
153	Utilisation of External Assistance	450—53
154	Rise in Prices of Commodities	453—58
156	Cost Reduction Cell	458—59
157	Seminar on Employment of S.Cs. & S.Ts.	459—61
158	Shareholders of 'Patriot'	461—62
159	Shortage of Water in Delhi	463—66
160	Gold Control Order	466—69

Short Notice Questions Nos.		
1	Ram Ganga Dam	469—71
2	Soil-Erosion in Kerala	471—72

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS— 423—503

Starred Questions Nos.		
155	Plan Shortfalls	473
161	Rural Uplift Programme	473
162	Aid India Club	474
163	D.V.C.	474—75
164	Mana Camp	475
165	Krishna-Godavari River Waters Dispute	475—76
166	Facilities for House Builders in Delhi	476—77
167	Rural Water Supply	477
168	Rehabilitation of Refugees in NEFA	477—78
169	Inquiry by Income Tax Authorities	478
170	Development of Backward Areas	478—79
171	Contraceptives for Family Planning	479

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
३८१	राजस्थान में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें	४७९
३८२	पदाधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण	४८०
३८३	अबैध सोना	४८०
३८४	मध्यम सिंचाई परियोजनायें	४८०–८१
३८५	गांधी सागर बांध	४८१
३८६	बीमा कम्पनियां	४८१–८२
३८७	आयुर्वेदिक औषधालय	४८२
३८८	नगरों को उच्च श्रेणी का बनाया जाना	४८२
३८९	महलनबोस प्रतिवेदन	४८२–८३
३९०	संसद्-सदस्यों के लिये आवास-स्थान	४८३
३९१	विदेशी तकनीकी व्यक्ति	४८३–८४
३९२	सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	४८४
३९३	बैंको नैश्योनल अलट्रामैटिनो	४८४–८५
३९४	बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी	४८५
३९५	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	४८५
३९६	रेडियो के एरियलों पर उत्पादन शुल्क	४८५
३९७	गांवों में जल सम्भरण पर विचार गोष्ठी	४८६
३९८	सिंचाई क्षमता	४८६
३९९	दामोदर घाटी निगम नहर	४८६
४००	शरणार्थियों के लिये नये उद्योग	४८७
४०१	औद्योगिक निगम	४८७
४०२	योजना कार्यक्रमों का प्रभाव	४८८
४०३	दिल्ली में 'रेबीज़' रोग निरोधक टीकों की कमी	४८८
४०४	उड़ीसा के अस्पतालों में एक्सरे के उपकरण	४८८
४०५	विज्ञान भवन	४८९
४०६	स्कूलों के स्वास्थ्य कार्यक्रम	४८९
४०७	मद्रास में पीने के पानी का सम्भरण	४८९–९०
४०८	राजस्थान में सिंचाई की क्षमता	४९०
४०९	राजस्थान नहर	४९०
४१०	भारत में औसत आयु	४९१
४११	उड़ीसा में गांवों में बिजली लगाना	४९१–९२
४१२	उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि	४९२
४१३	दिल्ली में चिड़ियाघर के एक कर्मचारी की मृत्यु	४९२
४१४	वैज्ञानिक उपकरण का निर्माण	४९३
४१५	सुबर्नरेखा नदी पर बांध	४९३–९४
४१६	वजीराबाद में पानी की टंकी	४९४

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
381	Rural Industrial Projects in Rajasthan	479
382	Training of Officers Abroad	480
383	Contraband Gold	480
384	Medium Irrigation Projects	480—81
385	Gandhi Sagar Dam	481
386	Insurance Companies	481—82
387	Ayurvedic Dispensaries	482
388	Upgrading of Cities	482
389	Mahalanobis Report	482—83
390	Residences for M.Ps.	483
391	Foreign Technical Personnel	483—84
392	C.G.H.S. for Government Pensioners	484
393	Banco National Ultramarino	484—85
394	Bundelkhand Ayurvedic College, Jhansi	485
395	C.G.H.S.	485
396	Excise Duty on Radio Aerials	485
397	Seminar on Rural Water Supply	486
398	Irrigation Potential	486
399	D.V.C. Canal	486
400	New Industries for refugees	487
401	Industrial Corporations	487
402	Impact of Plan Programmes	488
403	Shortage of Anti-Rabies Vaccine in Delhi	488
404	X-Ray Instruments in Orissa Hospitals	488
405	Vigyan Bhawan	489
406	School Health Programme	489
407	Drinking Water Supply in Madras	489—90
408	Irrigation Potential in Rajasthan	490
409	Rajasthan Canal	490
410	Life Expectancy in India	491
411	Rural Electrification in Orissa	491—92
412	Income-Tax Arrears in Orissa	492
413	Death of an Employee of Delhi Zoo	492
414	Manufacture of Scientific Equipment	493
415	Dam on Subaranarekha River	493—34
416	Water Reservoir at Wazirabad	494

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४१७ सोने का तस्कर व्यापार . . . ४९४
४१८ राजस्थान नहर ४९५
४१९ ग्रामीण आवास योजनायें . . . ४९५
४२० जवाई बांध ४९५–९६
४२१ बम्बई में मकानों की कमी . . . ४९६
४२२ राष्ट्र निर्माण कार्यों पर व्यय . . ४९६
४२३ दक्षिण खंड के राज्यों में सिंचाई योजनायें ४९६–९७
४२४ निर्माण और आवास मंत्रालय में सतर्कता एकक . ४९८
४२५ बिहार में औद्योगिक आवास योजना . . . ४९८
४२६ ग्रामों का विद्युतीकरण ४९८–९९
४२७ रेलवे कर्मचारियों के निवास स्थानों पर छापे . ४९९
४२८ आय कर अधिकारियों की नियुक्तियां . . ४९९–५००
४२९ रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में क्वार्टर . . ५००
४३० आयकर की बकाया राशि . ५००
४३१ मोजे, बनियान आदि पर बिक्री कर ५०१
४३२ गारो पहाड़ी क्षेत्र में बिजलीघर ५०१
४३३ विदेश यात्रा . . . ५०१–०२
४३४ खाद्यान्नों की जमानत पर पेशगियां . . ५०२
४३४-क लोहे के लट्ठे ५०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

ब्रिटिश गियाना में भारतीयों के मकान और दुकानें जलाने के बारे में कथित समाचार ५०३–०४
श्री स० मो० बनर्जी ५०३
श्री दिनेश सिंह ५०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५०४–०७

राज्य सभा से सन्देश . . . ५०७

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक . . . . ५०७—२९

संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव . . ५०७
श्री ब० रा० भगत . . . . . ५०७—१२
श्री स० मो० बनर्जी . . . . ५१२—१४
श्री सरजू पाण्डेय ५१४–१५
डा० पं० शा० देशमुख ५१५
श्री सोलंकी ५१५–१६
श्री व० बा० गांधी ५१६–१७

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
417	Gold Smuggling	494
418	Rajasthan Canal	495
419	Rural Housing Schemes	495
420	Jawai Bund	395—96
421	Shortage of Housing Accommodation in Bombay	496
422	Expenditure on Nation-building Activities	496
423	Irrigation Schemes in Southern Zonal States	496—97
424	Vigilance Unit in Ministry of Works and Housing	498
425	Industrial Housing Scheme in Bihar	498
426	Rural Electrification	498—99
427	Raid on Railway Employees' Residences	499
428	Postings of Income Tax Officers	499—500
429	Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	500
430	Income Tax Arrears	500
431	Sales Tax on Hosiery Goods	501
432	Power House in Garo Hills Area	501
433	Foreign Travel	501—02
434	Advances against Foodgrains	502
434-A	Sheet Piles	503

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Reported news about burning of houses and shops of Indians in British Guiana — 503—504

Shri S. M. Banerjee — 503

Shri Dinesh Singh — 503—04

Papers laid on the Table — 504—07

Message from Rajya Sabha — 507

Gold (Control) Bill — 507—29

Motion to refer to Joint Committee — 507

Shri B. R. Bhagat — 507—12

Shri S. M. Banerjee — 512—14

Shri Sarjoo Pandey — 514—15

Dr. P. S. Deshmukh — 515

Shri Solanki — 515—16

Shri V. B. Gandhi — 516—17

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक —जारी

श्री रामेश्वरानन्द ५१७–१८
श्री सिंहासन सिंह ५१८–१९
श्री अल्वारेस ५१९
श्री श्यामलाल सर्राफ ५२०
श्री काशी राम गुप्त ५२०–२१
श्री कृ० चं० शर्मा ५२१
श्री प्रकाशवीर शास्त्री ५२१–२२
श्रीमती सावित्री निगम ५२२–२३
श्री नम्बियार ५२३–२४
श्री यशपाल सिंह ५२४–२५
श्री उ० मू० त्रिवेदी ५२५
श्रीमती सुभद्रा जोशी ५२५–२६
श्री सुब्बरामन ५२६–२७
श्री दी० चं० शर्मा ५२७–२८
श्री जोकीम आल्वा ५२८–२९

GOLD (CONTROL) BILL—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
	Shri Rameshwaranand	517—18
	Shri Sinhasan Singh	518—19
	Shri Alvaras	519
	Shri Sham Lal Saraf	520
	Shri Kashi Ram Gupta	520—21
	Shri K. C. Sharma	521
	Shri Prakash Vir Shastri	521—22
	Shrimati Savitri Nigam	522—23
	Shri Nambiar	523—24
	Shri Yashpal Singh	524—25
	Shri U. M. Trivedi	525
	Shrimati Subhadra Joshi	525—26
	Shri Subbaraman	526—27
	Shri D. C. Sharma	527—28
	Shri Joachim Alva	528—29

[यह लोक–सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, ४ जून, १९६४/१४ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

Thursday, June 4, 1964 (Jaistha 14, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जल चालित बिजलीघर

+

*१५२. {श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में जल चालित बिजलीघरों की स्थापना करने के हेतु सोवियत सरकार आवश्यक उपकरण का सम्भरण करने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने बिजली घरों के स्थापित किये जाने की संभावना है तथा किन किन राज्यों में ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में निम्नलिखित तीन बिजलीघर रूसी उपकरण से स्थापित किये जा रहे हैं :—

(१) भाखड़ा में दाहिने किनारे पर जल-विद्युत बिजली घर (६०० मैंगावाट) ;

(२) उड़ीसा के बालीमेला जल-विद्युत बिजली घर (३६० मैंगावाट) ;

(३) मद्रास में मेटूर टनल जल-विद्युत परियोजना (२०० मैंगावाट)

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सहायता ऋण के रूप में होगी अथवा सहायता के रूप में ?

डा० कु० ल० राव: रूस दो शीर्षों के अधीन ऋण दे रहा है । पहला रूसी ऋण के नाम से जाना जाता है जिस पर २½ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा । इसका भुगतान परिवर्तनीय रुपयों में बारह वर्षों में किया जाना है । दूसरा ऋण एक व्यापार करार के अधीन दिया जा रहा है जिसका कि रुपयों में भुगतान किया जाना है और वह भुगतान पूर्णत: अपरिवर्तनीय है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : ये जेनरेटर कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

डा० कु० ल० राव : पहला बिजलीघर, अर्थात् भाखड़ा के दाहिने किनारे का जल-विद्युत बिजलीघर, सितम्बर १९६५ में काम करने लगेगा । मेटूर टनल जल-विद्युत परियोजना सितम्बर १९६४ में चालू हो जायेगी । बालीमेला जल-विद्युत बिजलीघर लगभग १९६९ में किसी समय कार्य करने लगेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : How much area will be irrigated by the power generated by those power stations ?

अध्यक्ष महोदय : इनसे कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : जल-विद्युत बिजलीघर परियोजनायें हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या ऐसा एक बिजलीघर स्थापित करने के हेतु रूसी सहायता प्राप्त करने के मामले में श्री सैलम जलविद्युत परियोजना पर भी कोई विचार किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : परियोजना का कार्य विभिन्न ऋणों के अन्तर्गत किया जा रहा है । श्री-सैलम परियोजना भारत सहायता विभाग (अमरीका) के लिये रखी गई है ।

Shri M. L. Dwivedi : Are there any smaller projects other than these three big hydro-electric projects, which Government are implementing or going to implement ?

डा० कु० ल० राव : यह प्रश्न रूस द्वारा दी गई सहायता के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उस सहायता से अन्य किन्हीं परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है ।

डा० कु० ल० राव : यह सहायता जल-विद्युत बिजलीघरों के सम्बन्ध में है । पांच अन्य तापीय विद्युत स्टेशन हैं जो कि बड़े बड़े हैं तथा जिनके लिये रूस ने सहायता देने का प्रस्ताव किया है । छोटी छोटी परियोजनायें कोई नहीं हैं ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेटूर परियोजना के लिये कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

डा० कु० ल० राव : लगभग ३ करोड़ ९६ लाख रुपये ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या भारत सरकार ने विशेष रूप से इन्हीं तीन परियोजनाओं के लिये सहायता देने के लिये रूस सरकार से प्रार्थना की थी और रूस सरकार ने सहायता का प्रस्ताव कर दिया था और यह बात भारत सरकार पर छोड़ दी थी कि वह जिन परियोजनाओं पर भी चाहे उस सहायता का उपयोग करें ?

डा० कु० ल० राव : केन्द्रीय सरकार ने वित्त मंत्रालय के परामर्श में विभिन्न ऋणों के अधीन अनेकों परियोजनायें रखी हैं। हमारे बारह या तेरह ऋण हैं .....

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने इन्हीं परियोजना विशेषों के लिये रूस सरकार से ऋण मांगा था।

डा कु० ल० राव : मैं यही बता रहा हूं। विभिन्न देशों से १२ या १३ अलग अलग ऋण लिये जा रहेहैं। हम विभिन्न परियोजनाओं को विभिन्न ऋणों के अधीन रखते हैं। राज्य सरकारें बाहरी देशों से ऋण की प्रार्थना नहीं करती हैं। केन्द्रीय सरकार इन ऋणों के सम्बन्ध में कार्य करती है। उदाहरणार्थ, भाखड़ा जल-विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में हमें उपकरण खरीदना है और हमने इस परियोजना को रूसी सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया है और इसे रूसी ऋण के लिये रखा है।

Shri Sheo Narain : What are the names of other five smaller projects being set up, where are they being set up and as what cost ?

डा० कु० ल० राव : यह प्रश्न इन तीन जल-विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में है। इसके अतिरिक्त पांच अन्य परियोजनायें हैं, जो कि वाष्प बिजलीघरों के लिये हैं, और उनके लिये भी रूस सरकार सहायता दे रही है। ये इस प्रकार हैं : नेवेली (मद्रास), ओबरा (उत्तर प्रदेश), कोरवा (मध्य प्रदेश), हरदुआगंज (उत्तर प्रदेश) और पथरातु (बिहार)।

श्री विश्राम प्रसाद : ये परियोजनायें कितने समय में देश में स्थापित हो जायेंगी तथा इनसे बाढ़ नियंत्रण का कार्य कहां तक किया जा सकेगा ?

डा० कु० ल० राव : इनके चालू होने की तिथियां मैं पहिले ही बता चुका हूं। सामान्यतया, एक जल-विद्युत परियोजना के पूरा होने में ४ या ५ वर्ष का समय और एक तापीय विद्युत स्टेशन के पूरा होने में ३ या ४ वर्ष का समय लगता है।

श्री पो० रा० रामकृष्णन : इन परियोजनाओं के लिये क्रय की जाने वाली मशीनों के मूल्य किस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ? क्या विश्वजनीन निविदायें आमंत्रित की गई थीं और क्या उन पर कोई निर्धारण किया गया था ?

डा० कु० ल० राव : इनके मूल्य विश्व-व्यापी बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या ऋण का भुगतान रुपयों में किया जायेगा और क्या ये ऋण शर्तों वाला है अथवा बिना किसी शर्त का है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं बता चुका हूं यह ऋण अथवा सहायता दो प्रकार से दी जा रही है। एक ऋण तो ऐसा है जिसका भुगतान रुपयों में परिवर्तनीय है—अर्थात् यह रुपयों के रूप में हो सकता है अथवा स्टर्लिंग के रूप में जैसा भी रूस सरकार चाहे। दूसरा ऋण व्यापार करार के अधीन दिया जा रहा है जिसका भुगतान केवल रुपयों में ही किया जाना है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : यह ऋण किन्हीं शर्तों पर है अथवा बिना किन्हीं शर्तों के है ?

डा० कु० ल० राव : शर्त यह है कि वह इन विशिष्ट परियोजनाओं के लिये है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कुछ प्रतिशत मशीनें स्वदेशी भी होंगी और क्या कुछ फालतू पुर्जे आदि भी मंगाये गये हैं जिससे कि किसी कठिनाई के समय कार्य बन्द न हो ?

डा० कु० ल० राव : सभी मशीनों के साथ फालतू पुर्जे मंगाये जाते हैं। हम इसके लिये भी फालतू पुर्जे मंगा रहे हैं। हम स्वदेशी मशीनों को भी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु मुझे खेद है कि यह सम्भव नहीं हो सका है। हमें आशा है कि चतुर्थ योजना में कुछ स्वदेश में निर्मित मशीनें भी हम लगा सकेंगे ।

श्री रामसहाय पाण्डेय : क्या रूस से हम जो उपकरण प्राप्त कर रहे हैं उसका मूल्य अन्य देशों के उपकरण की तुलना में कम है ?

डा० कु० ल० राव : ये मूल्य संसार के बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ।

विदेशी सहायता का उपयोग

\+

*१५३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वित्त** मंत्री विदेशी सहायता के उपयोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित १६ अप्रैल, १९६४ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता के उपयोग सम्बन्धी समिति द्वारा की गई तथा सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप विदेशी सहायता के उपयोग की दर में कितना तथा किस प्रकार से सुधार होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) कुछ सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है। जो विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिये अभिप्रेत है वह अर्ध-वार्षिक आवंटनों से निकाल दी गई है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये अलग अलग विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने की विद्यमान पद्धति के स्थान पर वित्त मंत्रालय के एक लेखा-परीक्षा कार्यालय द्वारा नमूने के रूप में समवर्ती लेखा-परीक्षा के आधार पर विदेशी मुद्रा देने की पद्धति लागू करने की दृष्टि से, एक लेखा-परीक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिये सहायता के प्रश्न पर विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की जा रही है। बहुत से मामलों में निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये निरन्तर कार्यवाही करनी होगी ।

(ख) यह आशा तो की जाती है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप विदेशी सहायता के उपयोग की दर में सुधार तो होगा, परन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि कितना सुधार होगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जैसा कि माननीय उप-मंत्री ने बताया है कि कुछ निरन्तर कार्यवाही करनी होगी, तो हम यह जानना चाहेंगे कि क्या विदेशी मुद्रा सहायता के उपयोग की प्रक्रिया तथा प्रतिरूप पर निरन्तर दृष्टि रखने के लिये कोई पर्याप्त साधन विद्यमान है और यदि हां, तो वह साधन क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विभिन्न मंत्रालयों की इस कार्य में रुचि है तथा वे, परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये तथा यह देखने के लिये कि इसे सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, समय समय आपस में मिलकर बैठकें करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अन्य साधन भी हैं, जैसे कि विनियोजन केन्द्र जो कि इस मामले में भी सहायता करते हैं। अब इन सब एजेन्सियों के बीच समन्वय रखा जाता है जिससे कि विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिक उपयुक्त आधार पर किया जा सके।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस देश में विदेशी मुद्रा के उपयोग में किन किन मुख्य त्रुटियो का पता चला है, और क्या सरकार ने यह अनुभव नहीं किया कि विदेशी मुद्रा के उपयोग पर दृष्टि रखने के लिये एक पृथक तथा स्थायी साधन की व्यवस्था करना अधिक अच्छा होगा और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जैसा कि मेरी माननीय सहयोगी ने बताया है, इस सम्बन्ध में विविभन्न मंत्रालयों का पृथक पृथक उत्तरदायित्व निरन्तर उन्हें महसूस कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा के उपयोग पर दृष्टि रखने के लिये वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के पास अब दो अन्य साधन भी हैं। एक साधन तो समन्वय का है जिसके अधीन योजनाओं के केवल कार्य के बारे में ही नहीं अपितु उनके निष्पादन के बारे में भी बारम्बार प्रतिवेदन मांगे जाते हैं जिनसे कि योजनाओं के कार्य तथा क्रियान्विति में त्रुटियों का पता लग जाता है और विदेशी मुद्रा के उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा साधन जो कि मेरी माननीय सहयोगी ने बताया है वह आर्थिक कार्य विभाग है जो कि एक उच्च-पदासीन अधिकारी के प्रभार में है और अब लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में एक लेखा-परीक्षक अधिकारी भी उसकी सहायता करेगा।

इन सब योजनाओं की निरन्तर जांच की जाती है। यह हो सकता है कि यह कुछ ठीक सिद्ध हो अथवा एकदम उपयुक्त सिद्ध न हो ; चतुर्थ योजना के अग्रिम आयोजन के संदर्भ में यह आवश्यक हो सकता है कि हम प्रायोजना के लिये हम मंत्रालय में विशेष साधनों की व्यवस्था करें ; ऐसा हो सकता है कि हमें एक विशेष एजेन्सी की आवश्यकता पड़े, विशेष रूप से विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसकी निरन्तर जांच की जा रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि पी० एल० ४८० निधियों में विकलांगों के पुनर्वास तथा शिक्षा के लिये जो धनराशियां निर्धारित थीं वे बिना उपयोग की गई पड़ी हैं और यदि हां, तो अधिक उत्तम समन्वय स्थापित करने और उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये क्या नये उपाय किये जायेंगे अथवा किन नये साधनों की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: पहले तो मैं यह निवेदन करता हूं कि यह मामला मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि कोई बड़ी बड़ी धन

राशियां बिना उपयोग की गई नहीं पड़ी हैं। माननीय सदस्या के विचार मे जो विशिष्ट प्रयोजन है उसके लिये सीमित धनराशियां आवंटित की जाती हैं। परन्तु यह माना जा सकता है कि सम्बन्धित मन्त्रालय ने योजनाओं के निष्पादन के लिये व्यवस्था न की। विकलांग व्यक्तियों और विकलांग बच्चों के प्रश्न पर विशेष ध्यान देने के बारे में विचार किया जा रहा है, और वास्तव में यह सरकार का इरादा है, और मुझे आशा हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या अनुभव में यह बात आई है कि प्राथमिकता के पहिले ही निर्धारित न किये जाने के कारण विदेशी मुद्रा के रूप मे उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की परियोजनाओं की प्रगति रुक गई, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि जैसे ही विदेशी मुद्रा वित्त मन्त्रालय को उपलब्ध हो तैसे ही वह सरकार और व्यय करने वाले मन्त्रालयों अथवा विभागों को मिल जाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि प्राथमिकतायें निर्धारित न करने का तो प्रश्न ही नहीं है; प्राथमिकतायें निर्धारित की ही जाती हैं। परन्तु प्रायः यह होता है कि जब हम सहायता कार्यक्रमों के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं तो स्थानीय परियोजनाओं की योजनायें पूरी तरह से तैयार नहीं होतीं जिससे कि हम उन्हें शीघ्रतापूर्वक क्रियान्विति कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी होती है। गत वर्ष बहुत से मामलों में ऐसा हुआ। उदाहरणार्थ, देश मे वैलडिंग इलैक्ट्रोड्स की भारी कमी थी।

इस प्रकार, यह प्राथमिकतायें निर्धारित करने में किसी त्रुटि के होने का प्रश्न नहीं है। योजना आयोग सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श में प्राथमिकतायें निर्धारित करता है। इस मामले में तनिक भी कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्न को विदेशी सहायता का उपभोग करने के लिये समय पर आधार तैयार करने का राऔर इस मामले में हो हमें कुछ दोष दिखाई देते हैं। इसकी जांच की जा रही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का आम अनुभव यह हैं कि विदेशी सहायता का अल्प उपयोग यहां पर परियोजनाओं को दोषपूर्ण क्रियान्विति के कारण मुख्यतः है अथवा पहले पहल विदेशी सहायता की मात्रा के बारे मे गलत अथवा अधिक अनुमान लगाने के कारण हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न के अन्तिम भाग में माननीय सदस्य ने जो अनुमान लगाया है वह आम तौर पर ठीक नहीं होता। ऐसा हो सकता हैं कि ऐसे कुछ मामले हों जिनमें उन्होंने उसके अधिक पूर्वानुमान लगाया हो जितना कि उन्हें मिलेगा।

विदेशी सहायता के कम उपयोग के जिस कारण का हमें पता लगा हैं वह, सामान्यतः, विदेशी सहायता के उपलब्ध न होने की अपेक्षा परियोजनाओं का दोषपूर्ण ढंग से तैयार किया जाना है।

श्री रंगा : क्या वित्त मंत्रालय का यह भी कर्त्तव्य नहीं है कि वह इस बात को भी देखे कि विशिष्ट परियोजनाओं के लिये जो विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई है उसे निर्धारित कार्यक्रम के अनसार ही उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में मन्त्रालय के अधिक चिन्तित होने से कहीं अनावश्यक अपव्यय न होने लग और विकास परियोजनाओं का कार्य अलाभदायक ढंग में ही जल्दी जल्दी पूरा न किया जाये ? आखिर, उसका उपयोग न करने और उसे कुछ समय के लिये स्थगित करने में जिससे कि हम उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, हमारी कोई हानि तो नहीं होती।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जबकि मैं वित्त मन्त्रालय के उत्तरदायित्व को तो समझता हूं जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र ने बात छेड़ी है, परन्तु मैं यह नहीं समझता कि वित्त मन्त्रालय उस विदेशी

मुद्रा के उपयोग के बारे में आवश्यकता से अधिक उत्सुक है जो कि अभी तक उपलब्ध ही नहीं हुई है। वास्तव में तो, विदेशी मुद्रा हमारी आवश्यकताओं के बहुत मात्रा में उपलब्ध है। यह प्रश्न तो दोनों ही बातों के बारे में प्रयत्न करने का है। जितनी भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है उसका शीघ्र उपयोग किया जाना चाहिये। जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं, अक्सर तो यह दोषपूर्ण आयोजन और योजना की दोषपूर्ण तैयारी अथवा इस बात को समझने में किसी गलती के कारण होता है कि किसी विशेष परियोजना के निष्पादन के लिये किन किन अत्यावश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiyas: Will the hon. Minister let us know the names of those countries whose assistance has not been utilised by us as also of those whose assistance has been utilised by us. Was there any political ground for the non-utilisation of such assistances and if so, the nature thereof ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: The total amount of loan and credit received by us from foreign countries and utilised is Rs. 2,971 crores. The unutilised portion amounts to Rs. 1,227 crores. It means that about 60% has been utilised by us.

Shri Hukam Chand Kachhavaiyas: My question has not been replied.

Mr. Speaker: Reply has not been given but it is not possible to state as to how much assistance was received from different countries separately and out of which what has been utilised and what remains unutilised.

Shri Yashpal Singh: Has this Committee made any recommendation regarding the extent of expenditure on industries and agriculture ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: The Committee's concern was only this much as to how we could utilise in a better way the foreign assistance received by us in the form of loans and credits. They have made some recommendations in this connection which are being considered.

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

+

*१५४. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मई, १९६४ मे सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) गेहूं तथा खाद्य तेलों के सिवाय खाद्यान्नों के मूल्य मई १९६४ में बढ़ गये । सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में चीनी के कारखाना मूल्यों में १ रुपये से १४.५ रुपये प्रति क्विटल तक वृद्धि करने की आज्ञा दे दी है । कपड़ा, मिटटी का तेल, कोयला, चाय, नमक, जूते तथा भेषजों और औषधियों जैसी अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य लगभग स्थिर रहे ।

(ख) उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा, जिनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, नियन्त्रित दरों पर गेहूं तथा चावल का सम्भरण किया जा रहा है । अत्यावश्यक वस्तुओं को सट्टे के लिये जमा करने के लिये बैंक के रुपये के इस्तेमाल को रोकने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने चयनात्मक ऋण नियन्त्रणों को कड़ा कर दिया है । सट्टेबाजी को रोकने के लिए वायदा बाजारों को भी नियन्त्रित किया जाता है । मूंगफली के तेल तथा कुछ तिलहनों के वायदा सौदों पर २ जून १९६४ से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । राज्य सरकारों को नये लाइसेंसिंग आदेश को प्रवर्तित करके खाद्यान्नों के थोक व्यापार पर नियन्त्रण रखने की सलाह दी गई है । आगे जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कदम उठाये जायेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मन्त्री ने जिन कार्यवाहियों का उल्लेख किया है उनके अलावा क्या सरकार अशोक मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार मूल्य स्थायीकरण समिति बनाने और प्रयोग के तौर पर अनाज का राजकीय व्यापार करने का प्रयत्न करने का विचार कर रही है, क्योंकि सरकारी शासन यन्त्र अब असफल हो गया है ?

श्री रंगा : यदि सरकारी शासन यन्त्र असफल हो गया है, तो राजकीय व्यापार से वह और खराब हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग केवल कार्यवाही के लिए सुझाव है । प्रश्न के केवल पहले भाग का उत्तर दिया जाय ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं इस प्रश्न के लिए आवश्यकता से अधिक विस्तार के साथ इस विषय का विवेचन करने की सदन से अनुमति सदन से चाहता हूं ।

स्थिति काफी अधिक गम्भीर है । सरकार उस बारे में पूरी तरह सावधान है । मेरे सहयोगी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी उस दिन इस विषय का उल्लेख किया था । हमें वर्तमान स्थिति से बिल्कुल सन्तोष नहीं है । वास्तविक तथ्य यह है कि कुछ चीजों की कमी सीमान्तिक रूप की है और वर्तमान वितरण पद्धति में कुछ दोष दिखायी पड़ते हैं और अब सरकार को यह मालूम पड़ता है कि सीमान्तिक अवशेष रहने पर भी, वर्तमान स्थिति जारी रहेगी क्योंकि कई दशाओं में वितरण पद्धति मे मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार परिवर्तन नहीं होंगे । जब तक कि काफी पर्याप्त अधिशेष नहीं होगा तब तक सामान्य आर्थिक नियम क्रियाशील नहीं होंगे । इसलिए बड़ी बड़ी नाजुक स्थिति हो गयी हैं और हम सोच रहे हैं कि हम अधिक गम्भीर स्वरूप के कदम क्यों न उठाये ।

मूल्य स्थायीकरण बोर्ड के रहने मात्र से ही कोई लाभ नहीं दिखायी पड़ता । मेरे मन्त्रालय में आज एक बोर्ड, सचिवों की एक मूल्य समिति विद्यमान है । यह एक ऐसा मामला है जिस पर मुख्य मन्त्रियों के साथ मिल कर विचार करना होगा और मुझे यह मालूम होता है कि राजकीय व्यापार की कठोर पद्धति शुरू करना और खुदरा वितरण पर कड़े नियन्त्रण लागू करना अनिवार्य है क्योंकि राज्यों के सहयोग के बिना केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए न कोई अभिकरण है और न ही क्षमता

है। भावी प्रधान मन्त्री से मेरी प्रार्थना है कि वे मुख्य मन्त्रियों को बहुत शीघ्र ऐसे कदम उठाने के लिए कहें जिनका परिणाम शीघ्र दिखायी पड़े। मैं सभा को यही आश्वासन दे सकता हूं लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि इससे मुझे सन्तोष नहीं है।

श्री रंगा : जब तक आप मुद्रा स्फीति न रोकेंगे तब तक कुछ भी सन्तोषजनक नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार जानती है कि सारे देश में गहरी उत्तेजना फैली हुई है जिसमें कलकत्ते की सामान्य हड़ताल शामिल है, और यदि मूल्य नहीं गिरेंगे, तो और अधिक उत्तेजना अनिवार्य हो जायगी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का कोई सम्मेलन बुलाया जाने वाला है ताकि स्थिति का विवेचन किया जा सके और असफलता के कारण मालूम हो सकें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जनता से सहयोग मांगने से पहले यह जरूरी है कि सरकार को इस की बिल्कुल स्पष्ट कल्पना हो कि वह कौनसे तरीके अपनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह शर्त अवश्य पूरी की जानी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मन्त्री अपने उत्तर में इस महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में भावी प्रधान मन्त्री के इस कथन का उल्लेख किया कि वे वित्त मन्त्री, योजना आयोग और खाद्य तथा कृषि मन्त्री से इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या इन तीनों ने इस विषय पर कोई सामूहिक विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? क्या मूल्य वृद्धि की जांच करने के लिए उन्होंने कोई स्थायी संगठन कायम किया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं वह बता चुका हूं। इसीलिए मैंने इसका विस्तार से विवेचन किया। इसे राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ मिल कर करना होगा और इसलिए इस मामले में कुछ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उनके पूरे-पूरे सहयोग की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार सिर्फ यही कर सकती है कि नियन्त्रण का खर्च पूरा करने के लिए कुछ सहायता दे। बाकी चीजें राज्य सरकारों को ही करनी पड़ेंगी, और अपने अधीन अभिकरणों को नया रूप देने से पहले मुख्य मन्त्रियों से परामर्श करना जरूरी होगा और मैं मनोनीत प्रधान मन्त्री को यही राय देने वाला हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब मनोनीत प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि वह इस विषय पर इन लोगों के साथ चर्चा करेंगे और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर कुछ करेंगे तो क्या मैं यह समझूं यह सामूहिक विचार अभी नहीं किया गया है और वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार का काम एक निरन्तर कार्य है। वास्तव में भावी प्रधान मंत्री के किसी वक्तव्य पर हम गंभीरता से विचार करते हैं। मैंने कल ही अपने सहयोगी खाद्य तथा कृषि मंत्री से इस बारे में बातचीत की है और आगे फिर बातचीत करनी होगी। अगर मैं सिर्फ यह कह दूं कि मैंने खाद्य तथा कृषि मंत्री से बात कर ली है, तो सारा मामला यहां खत्म नहीं हो जाता। समस्या के सभी पहलुओं का चित्र मालूम करने के लिए बहुत सी चीजें करनी होंगी ताकि उनका मुकाबला करने के तरीके हम निकाल सकें।

श्रीमती सावित्री निगम : थोक मूल्य सूचकांक और फुटकर मूल्य सूचकांक में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है ? माननीय वित्त मंत्री के कथनानुसार वितरण पद्धति के दोष दूर करने के लिए तुरन्त क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : थोक मूल्य सूचकांक १६ मई, १९६४ को १४३ के मुकाबले में फरवरी, १९६४ के आखिर में १३८.९ था ।

श्री स० मो० बनर्जी : फुटकर मूल्यों के बारे में आप क्यों नहीं कुछ बताते ?

श्री ब० रा० भगत : वह ८ $^{१}/_{२}$ प्रतिशत अधिक है ।

Shri A. P. Jain: Tell us about the increase in retail prices. We get very high prices.

श्री ब० रा० भगत : मैं थोक मूल्य में वृद्धि के बारे में विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । वह १ साल में ८।। प्रतिशत है । एक साल पहले की तुलना में वह ८।। प्रतिशत अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : अब फुटकर मूल्य ।

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Vishwanath Pandey: The main cause of the rise in prices of essential commodities is that goods are not available in the market to meet the demand of public and several businessmen indulge in hoarding and black-marketing. Does Government propose to take any concrete steps so as to stop hoarding and blackmarketing and make goods available to the public at reasonable prices ?

Shri B. R. Bhagat: Concrete step has been taken. We have now written to States to enforce the revised Licensing order and through it the situation would be controlled.

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात के बावजूद कि सरकार समय-समय पर आश्वासन देती रही है और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाये गये हैं, कीमतें बराबर ही बढ़ती रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वृद्धि मुख्यत: भारत सरकार की आर्थिक नीति के कारण या किन्हीं अन्य बातों के कारण है और यदि हां, तो निकट भविष्य में कीमतों को नीचे लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मैंने विस्तृत उत्तर दे दिया है ।

Shri Sidheshwar Prasad: It has just now been stated in a reply to a question that speculation was also a factor leading to the increase in prices. I would, therefore, like to know how many speculators and profiteers have been arrested ?

Shri B. R. Bhagat: I have got no list of those persons.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या देश के विभिन्न भागों में कुछ अनाजों की अधिकतम कीमत निश्चित की गयी है और यदि हां, तो अब किन अनाजों की कीमत निश्चित की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : वसूली की कीमतें निश्चित की गयी हैं ।

श्री दलजीत सिंह : ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित दरों पर सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : राज्य सरकारों ने सस्ते दाम वाली दूकानें खोली हैं और अभी हाल में उनकी संख्या ६०,२७८ से बढ़कर ७६,५२२ हो गयी है और माननीय सदस्य ने जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया है वे इनमें से अनेक दूकानों के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

श्री रंगा : वित्त मंत्री ने अभी हाल में बताया कि मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए वे राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में राजकीय व्यापार का प्रयोग करने की सिफारिश करेंगे । क्या सरकार ने राजकीय व्यापार की समीक्षा की है कि कहां तक उसका प्रयोग किया गया है और कीमतों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है और उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राजकीय व्यापार और गैर-सरकारी व्यापार को साथ-साथ चलने और प्रतियोगिता करने की अनुमति देने पर विचार करेगी ताकि मुनाफाखोरी न हो और कीमतें बढ़ने न पायें ?

अध्यक्ष महोदय : तीन सवालों में आधा घंटा लग गया है और फिर भी तीसरा सवाल खत्म नहीं हुआ है । कठिनाई यह है कि वक्तव्य लम्बे होते हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, Sir, the entire country is in trouble on account of rise in prices of commodities.

Mr. Speaker : The Hon. Member can discuss this subject in other ways. There can be no discussion on this during the question hour.

सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है । अधिकतर सदस्यों के विरुद्ध मुझे यही शिकायत है । यह चीज़ बढ़ती जा रही है यदि अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त और ठीक हों तो उत्तर भी सीधे और ठीक होंगे ।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, Sir, you are only complaining against those who put questions. Ministers also give long statements which are meaningless.

Mr. Speaker : I can't help it. You can turn out ministers, if you like. What can I do in this matter ?

Shri Rameshwaranand : Yo turn from this side to that side but we don't get any opportunity even though we stand ten times.

अध्यक्ष महोदय : उस दल के माननीय नेता इस पर ध्यान दें । मैं माननीय सदस्य का यह बर्ताव सहन नहीं कर सकता । यदि मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है, तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं उनसे बात करूंगा, श्रीमन् ।

Shri Rameshwaranand : You too don't treat everybody on equal basis.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य का प्रश्न काफी व्यापक है । उनका सुझाव है कि राजकीय व्यापार नहीं होना चाहिये । वह मेरे विचार जानना चाहते हैं कि राजकीय व्यापार सफल हुआ है या नहीं । मैं समझता हूं कि १९४२ और १९४३ के वर्षों में राजकीय व्यापार सफल रहा है क्योंकि उससे मूल्य में वृद्धि बिलकुल ही नगण्य रही । यदि उस तरह की कोई पद्धति फिर लागू की जाय और ठीक ढंग से कार्यान्वित की जाये तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं पैदा होगी । लेकिन यह प्रत्येक राज्य सरकार पर निर्भर है और मुख्य मंत्री ही

इस मामले में अन्तिम निर्णायक हैं। इसीलिए मैंने सभा को बताया था कि मैं भावी प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे मुख्य मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा करें। मेरी समझ में यह बिलकुल स्पष्ट है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

लागत में कमी सम्बन्धी विभाग

*१५६. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड के सुझाव के अनुसार योजना आयोग में लागत में कमी सम्बन्धी एक विभाग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) वे कौन सी वस्तुयें अथवा उद्योग हैं जिनके बारे में लागत में कमी करने सम्बन्धी अध्ययन किये गये हैं; और

(घ) क्या लागत को, विशेष रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की लागत को, कम करने के लिए किसी उपाय का सुझाव दिया गया है ?

योजना मंत्री श्री ब० रा० भगत : (क) से (घ). निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में लागत कम करने के विषय का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग में विशेष शाखा स्थापित करने का प्रश्न अभी तक योजना आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार जानती है कि हमारे देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत अन्य देशों में इसी तरह की वस्तुओं के लागत मूल्य से कहीं ज्यादा है ?

श्री ब० रा० भगत : कई मामलों में यह ठीक है।

श्री सुबोध हंसदा: यदि यह ठीक है, तो आयोग में लागत में कमी सम्बन्धी विभाग कायम करने में देर के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि योजना आयोग को उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये। ऐसा विभाग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय में पहले से काम कर रहा है लेकिन चूंकि उसका अनेक दूसरे विभागों से भी सम्बन्ध है, इसलिए उसका कहना है कि उसे योजना आयोग को ले लेना चाहिए। योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है क्योंकि सामान्यतया वह प्रशासनिक ढंग का काम अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। लेकिन इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह योजना कब से विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन पड़ी हुई है और क्या यह महसूस किया जाता है कि लागत में कमी करने तथा किस्म नियंत्रण के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए ऐसा विभाग बनाया जाना चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने बताया, ऐसा विभाग पिछले दो वर्षों से ही, १९६२ से काम कर रहा है और उसके साथ ही किस्म नियंत्रण के लिए अन्य अभिकरण हैं। इसलिए उस पहलू पर भी विचार किया जायगा।

Shri Y. S. Chaudhari : Has Government made or does it propose to make any survey to ascertain the cost of production in such industries as have been given protection, and the prices at which their products are sold in markets?

Shri B. R. Bhagat : It is a different question.

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : जहां तक उत्पादन लागत का सम्बन्ध है, क्या सरकार यह अनुमान लगा रही है कि दूसरे देशों की तुलना में उसे कितना नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो वह नुकसान कितना है ?

श्री ब० रा० भगत : वह विस्तृत ब्यौरे का प्रश्न है । प्रत्येक मामले में वह अलग है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रोजगार देने सम्बन्धी विचार गोष्ठी

\+

*१५७. { **श्री सिद्दय्या :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी-फरवरी, १९६४ में नई दिल्ली में हुई अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रोजगार देने सम्बन्धी विचार गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जो कदम उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

१. विचार गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों की एक सूची समस्त राज्यों, संघ राज्य-क्षेत्रों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों को परिचालित की गई है ।

२. स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा था जिसमें राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे ठोस कार्यवाही करने की दृष्टि से इन सिफारिशों की जांच करें ।

श्री सिद्दय्या : क्या सरकार द्वारा विचार गोष्ठी की इस सिफारिश पर विचार किया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की पदोन्नति के लिये श्रेणी १ व २ में पदों का आरक्षण किया जाय और यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री ब० रा० भगत : विभिन्न प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों द्वारा, अन्य सिफारिशों के साथ साथ, इस सिफारिश पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री सिद्दय्या : राज्यों को पत्र लिखने के अतिरिक्त क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने केन्द्रीय मंत्रालय को इस विषय में कोई कार्यवाही करने की भी सलाह दी थी ?

श्री ब० रा० भगत : सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय भी मामले में कदम उठा रहे हैं

श्री रामेश्वर टांटिया : अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये जितने प्रतिशत पदों का आरक्षण किया जाता है, क्या वे पद इस समय पूरे नहीं भरे जाते हैं तथा यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चुनाव के तरीके को बदलने का है ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर गृह मंत्रालय विचार करता है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Which of the recommendations made by this Seminar have been accepted by the State Governments ?

Shri B. R. Bhagat : Most of the State Governments have sent replies in this regard. One or two State Governments have even written that they are taking action on them.

Shri Bade : Is it a fact that out of the recommendations sent to State Governments by the Central Government, some are acceptable to them while the rest are unacceptable ? Has any latter to this effect been received from Madhya Pradesh ?

Mr. Speaker : How can he information about each and every State be given ?

Shri Bade : Sir, the States are of the view that this is a Central subject while the Centre considered it a State subject.

Shri B. R. Bhagat : The Government of Madhya Pradesh has intimated that they are considering over these recommendations.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के हेतु इस आशय की सिफारिश की जायेगी कि जहां कहीं भी उद्योगों की स्थापना हो, उनमें इनको सर्वप्रथम अधिमान दिया जाय ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में कुछ करना गृह मन्त्रालय का कार्य है । परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि यह सिद्धान्त सबको स्वीकार्य है कि स्थानीय लोगों अर्थात कुछ आदिम जाति के लोगों तथा अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार का अधिमान देना ही पड़ेगा ।

Shri Vishram Prasad : The Planning Commission plans everything. As has been indicated in the report of the Commissioner for Scheduled Castes, there has been only 3 per cent reservation for Harijans as yet while the Government want it to be made 18 per cent. Harijans constitute 21·2 per cent of the total populations. The 3 per cent reservation has been possible in 17-18 years. How much more time would be needed to achieve the target of 18 per cent reservation ?

Shri B. R. Bhagat : This seminar was held with this end in view and more attention was paid towards these things in it. In the Seminar more emphasis was laid on the act that whatever has been provided in the Constitutin with regard to reservation and other things should be given effect to expeditiously.

Shri Vishram Prasad : Three per cent reservation has been possible in 17-18 years. How long would it take to achieve the target of 18 per cent reservation ?

Mr. Speaker : How much time it would require ?

Shri B. R. Bhagat : As I said the Planning Commission would not enforce it. The Planning Commission has only recommended for its early implementation. It would be given effect to by the State Governments and the other authorities.

श्री बसुमतारी: विचार गोष्ठी में हुई चर्चा के दौरान हमने यह देखा कि कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी पिछड़े क्षेत्रों में कालिज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा उन्हें उन क्षेत्रों में कालिजों में शिक्षा निम्न स्तर की प्राप्त होती है जिसके कारण वे अन्य उन्नत क्षेत्रों के वासी अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते, अतः आरक्षित कोटे के लिये केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये एक पृथक् परीक्षा होनी चाहिये यदि ऐसी बात है, तो फिर इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर विचार करना शिक्षा मन्त्रालय का काम है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the name of that State where this reserved quota has been filled up as also the names of those States where it has not ?

Shri B. R. Bhagat : I do not have full details of it with me.

"पैट्रियट" के अंशधारी

१५८. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १ मार्च, १९६४ के "पैट्रियट" में प्रकाशित उसके अंशधारियों के नामों की ओर गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि "एस० अमृत" नाम से उस व्यक्ति को ठीक तरह पहचान नहीं की जा सकती है जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समवाय से की गई अनौपचारिक पूछताछ से इस बात की पुष्टि हो गई है कि "९, कोहनूर रोड, बम्बई के श्री एस० अमृत" तथा "९, कोहनूर रोड, बम्बई के श्री श्रीपद अमृत डांगे" में कोई अन्तर नहीं है ।

सरकार को यह सलाह दी गई है कि समवाय अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । अतः, इस मामले में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस प्रकार के कुछ समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारतीय साम्यवादी दल के अध्यक्ष, श्री श्रीपद अमृत डांगे, ने समाचार-पत्र को अपना पूरा नाम दिया था परन्तु समाचार-पत्रों के मालिकों अर्थात् रायसीना पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस बात को छिपाने के लिये कि भारतीय साम्यवादी दल का इस समाचार पत्र से सम्पर्क है उनके नाम को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया जिसके पीछे उनका कुटिल उद्देश्य था और यदि हां, तो क्या समाचार-पत्र द्वारा पूरा नाम न प्रकाशित करना समवाय विधि का उल्लंघन नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : हम यहां पर एक कानूनी मसले पर चर्चा नहीं कर सकते । मंत्री जी ने बताया है कि सरकार को यह सलाह दी गई है कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और इसीलिये कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कमात : क्या मन्त्री जी अथवा उनके मन्त्रालय ने भारतीय साम्यवादी दल के तथा कथित दक्षिणपंथी अथवा वामपंथी, मास्को-समर्थक अथवा पीकिंग-समर्थक किन्हीं पक्षों से—मैं नहीं जानता कि कौन अधिक भारत-समर्थक है—यह पता लगाने की कोशिश की है. . .
(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें कोई प्रश्न करना है, तो उसे सीधा रखें ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या श्री श्रीपद अमृत डांगे ने वस्तुतः समाचार-पत्र को अपना पूरा नाम दिया था तथा समाचार-पत्र के मालिकों द्वारा नाम से डांगे शब्द को हटाने अथवा पूरे नाम के एक भाग को छिपाने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): समवाय विधि बोर्ड अथवा समवाय विधि प्रशासन को यह जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है ।

Shri Raghunath Singh : How much amount has been invested by Shri Dange in it and has he ever paid income-tax on the amount so invested by him ?

Shri B. R. Bhagat : He holds three hundred shares, the value of one share being Rs. 100/-. Thus the total amount invested by him comes to Rs. 30,000. I do not have the information with me as to whether income-tax has been paid or not.

श्री इन्द्रजीत गप्त : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि क्या अब भी श्री श्रीपद अमृत डांगे के नाम में कोई शेयर हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार की इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि समवाय विधि इतनी प्रभावहीन है कि अंशधारी तथा निदेशक अपने वास्तविक नाम न देकर कोई भी नाम दे सकते हैं, तो क्या इस बारे में समवाय विधि में संशोधन करने का कोई प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वर्तमान विधि के अनुसार, अंशधारी अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम दे सकते हैं । प्रायः हम भी ऐसा करते हैं । कभी कभी समाचार-पत्र मुझे टी० टी० कृष्णमाचारी के स्थान पर टी० टी० के० लिखते हैं । अतः मेरे विचार से विधि के उल्लंघन की कोई बात नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : वित्त मन्त्री तथा "पैट्रियट" के एक अंशधारी में अन्तर है ।

श्री जोकीम आल्वा : प्रेस कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्या सरकार ने समाचारपत्रों के बेनामी अंशधारियों के नामों की जांच पड़ताल की है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बेनामी नहीं होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये बेनामी नहीं होते । इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में पानी की कमी

\+

*१५९. श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लगभग ८ लाख व्यक्ति पानी की बहुत अधिक कमी अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) पानी की इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी की कमी अनुभव की जा रही है ।

(ख) कमी के कारण ये हैं :

(१) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली की आबादी में अत्यधिक वृद्धि । वर्तमान पानी घर (Water Works) द्वारा किया जाने वाला पानी का सम्भरण बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(२) नगर का तीव्र गति से विस्तार हो जाने के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में पानी का दबाव कम हो गया है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने के लिये उठाये गये कदम

(१) दिल्ली के पानी-घर (Water Works) की वर्तमान जल सम्भरण क्षमता प्रति दिन ९ करोड़ ८५ लाख गैलन है । ग्रीष्मकाल में जल साफ करने वाले यन्त्रों की क्षमता पर अतिरिक्त भार डालकर प्रति दिन १० करोड़ ५० लाख गैलन पानी का सम्भरण किया जा रहा है । वजीराबाद में ४ करोड़ गैलन प्रति दिन की क्षमता वाले एक जल परिष्करण सन्यन्त्र के लग जाने के बाद सितम्बर, १९६५ के अन्त तक यह क्षमता बढ़ कर १४ करोड़ ५० लाख गैलन प्रति दिन हो जायेगी । इसमें से प्रति दिन १ करोड़ गैलन पानी दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा ।

(२) दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली तथा शाहदरा क्षेत्र में कुछ नलकूप खोदे जा रहे हैं ।

(३) पंजाब सरकार के साथ एक व्यवस्था की गई है जिसके अधीन राज्य सरकार ग्रीष्मकाल के दौरान, जबकि वजीराबाद निकासी स्थान पर पानी की कमी हो जाती है, यमुना की मुनाक अथवा इन्द्री धाराओं (Escapes) से ३२५ क्यूजक तक पानी छोड़ रही है । इस वर्ष अप्रैल के अन्त में यमुना नदी में पानी की कमी अनुभव की गई थी तथा दिल्ली नगर निगम ने पंजाब सरकार से प्रार्थना की थी कि वह मुनाक धारा के द्वारा पश्चिमी यमुना नहर से यमुना नदी में २०० क्यूजक पानी छोड़ने

का कष्ट करें। पंजाब सरकार हमारी आवश्यकताओं के अनुसार यह पानी दे रही है और इस वर्ष इस बारे में कोई कठिनाई नहीं हुई है।

(४) वे क्षेत्र जहां पर पानी का दबाव कम है, ये हैं : रामाकृष्णा पुरम्, मोती बाग, डिफेंस कालोनी एवम् नेताजी नगर के भाग तथा पुरानी दिल्ली के कुछ भाग। पानी-घर की क्षमता १४ करोड़ ५० लाख गैलन प्रति दिन हो जाने के बाद पानी का दबाव कम होने से उत्पन्न हुई कठिनाई काफी सीमा तक दूर हो जायेगी। छोटे पाइपों के स्थान पर बड़े पाइप भी लगाये जा रहे हैं तथा एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जलाशयों की जल-संग्रह क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। इस बीच स्लूस वाल्वस का नियमन करके दिल्ली नगर निगम इन क्षेत्रों को अधिकतम सम्भव राहत पहुंचा रही है ताकि लोगों को पानी का समान वितरण किया जा सके।

रामाकृष्णापुरम् तथा शाहदरा आदि में कुछ नलकूप बनाये गये हैं जिससे काफी सीमा तक जल की कमी दूर हो गई है। और अधिक नलकूप खोदे जा रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : How the problem of increasing population can be solved? The Government are themselves of the view that more tubewells should be sunk. In case, it is not done the people living here should be shifted outside Delhi. Which way does the Government want to choose?

Mr. Speaker : The Government wants to do the first thing which has been given in the statement also.

Shri Yashpal Singh : There is shortage of water in South Avenue. There practically all the day its shortage is felt. The water is not available there for several hours. What steps are Government taking to meet the shortage of water there?

डा० द० स० राजू: पिछले कुछ सप्ताह में अनेक नलकूप खोदे गये हैं तथा उनसे शाहदरा तथा अन्य स्थानों पर बहुत अच्छा पानी प्राप्त हो रहा है।

Mr. Speaker : The question is about South Avenue.

डा० द० स० राजू: जहां कहीं भी अच्छा पानी उपलब्ध होगा, वहां पर नलकूप खोदे जायेंगे। नगर निगम का आगामी कुछ महीनों में २५ नलकूप खोदने का विचार है।

Shri Yashpal Singh : We have pledged in our Constitution to arrange for nutritious food for the 44 crores of people of this country. But we have not been able to make adequate arrangements even for water for the 500 Members of Parliament. May I know whether some steps are being taken by the Government in this regard?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : The only complaint is that the water is not available all the 24 hours. Restricted supply is being made. I would request the hon. Members to have some buckets of water filled when the water is available and use it at the time of need.

Shri Yashpal Singh : Kindly supply buckets.

Shri Sidheshwar Prasad : The Government has taken the view that because of constant increase in the population of the capital, the problem of water scarcity has baffled all solutions. Is Government not aware that the population of Delhi is bound to go up further in the next year or years? If so,

why the Government has not so far come forward with a scheme to supply to the people residing in Delhi a reasonable quantity of pure water all the 24 hours? Does the Government propose to prepare such a scheme?

Dr. Sushila Nayar : A scheme is in operation to filter 40 million gallons of more water. The work on the installation of the plant was commenced last year. But due to several factors the work in this regard has not progressed as much as it should have. But we do hope that there would not be any such grievance during the next summer season.

Shri Y. S. Chaudhary : The question of supply of water in Delhi is voiced here again and again. In case the hon. Minister is in a position to indicate, I would like to have from him a definite reply to one question. Even the Constitution is being quoted here. May I know whether the water being taken from Western Jamuna to meet the needs of increasing population is not being taken at the cost of water requirements of Hissar, Rohtak and Gurgaon areas in Punjab? Do the water requirements of people residing in the above areas are of less importance than those of white coloured people living in Delhi?

Mr. Speaker : He is trying to oppose the white collared people in the midst of whom he is himself sitting.

Shri Y.S. Chaudhary : I am fully satisfied with this water.

Dr. Sushila Nayar : The drinking water is being supplied in Delhi. The hon. Member said something about Hissar, etc. There the question is one of irrigating the fields. I think the hon. Member would agree that first priority should be given to drinking water. The question of supply of water for irrigation purposes cannot be given priority over that of drinking water.

Shri Rameshwaranand : May I know whether in view of the acute shortage of water, the water being utilised for the lawns in the residences of Ministers, Deputy Ministers and Rashtrapati could not be diverted towards irrigating the agricultural fields? What do the Government propose to do in this regard?

Dr. Sushila Nayar : I may inform the hon. Member that the water used for the lawns cannot be utilised for drinking purposes.

Shri Rameshwaranand : Is it not possible to purify that water?

Mr. Speaker : The hon. Minister would only plead that this water should be utilised after filtering it.

Shri A.P. Jain : Due to more than one baths taken by *Swamis* a great quantity of water is wasted. What is being done to check this thing? (*Interruptions*)

Shri Rameshwaranand : He has directed the question against me. It is not proper.

Mr. Speaker : I have stopped him.

Shri Rameshwaranand : Although he has not referred my name, but why he has used the word "*Swamiji*". May I know whether it is justified to ask such irrelevant questions in this House?

Shri A.P. Jain : I have said the thing about *Swamis* in general, not particularly about him. There are so many *Swamis* in the country.

Shri Rameshwaranand : Was he entitled to say so with reference to my question? Does it behove anybody to ask such questions in this August House?

Mr. Speaker : He was entitled to ask a question. But I never thought that he would be putting a question about Swamiji. However, he should kindly resume his seat now.

Shri R.S. Pandey : It is a question of making arrangements for the supply of 40 million gallons of water. In view of the increasing population and the tempo of construction activities in the Capital, is the hon. Minister in a position to assure us that the demand of water would be met in full, that is, the water would be available all the 24 hours?

Dr. Sushila Nayar : After making an assessment of the projected population growth and the likely water requirements in 1967, 1971 and 1986, we have prepared a scheme to meet the demand of water in full.

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

+

*१६०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री महेश्वर नायकः
श्री हेडाः
श्री श० ना० चतुर्वेदीः
श्री न० प्र० यादवः
श्री यमुना प्रसाद मंडलः
श्रीमती अकम्मा देवीः
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने के मूल्य स्तर के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू होने के बाद से सोने के मूल्य में हुई अधिकतम गिरावट की तुलना में यह कैसी है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में सोने की चोरी छिपे लाया जाना उसी स्तर पर पहुंच गया है जिस पर कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू होने से पहले था ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) १० ग्राम चौदह कैरट के सोने का मूल्य ६६ रु० ५० पैसे और २४ कैरट सोने का ११८ रु० प्रति १० ग्राम है। २४ कैरट सोने का न्यूनतम मूल्य २८ फरवरी, १९६३ को ९५ रु० तक गिर गया था। लेकिन यह ठीक है कि अप्रैल, १९६४ के बाद से सोने का मूल्य बढ़ता दिखाई दे रहा है।

(ख) और (ग). पिछले कुछ महीनों में, चोरी छिपे लाया गया सोना अधिक मात्रा में पकड़ा गया है लेकिन यह मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि यह कहा जा सके कि चोरी छिपे उतना ही सोना लाया जाने लगा है जितना कि कन्ट्रोल से पहले लाया जाता था।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने संशोधित रूप में स्वर्ण नियंत्रण आदेश की क्रियान्विति को देखते हुए वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया है ?

श्री ब० रा० भगत : हम बराबर ही मूल्यांकन करते रहते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश की क्रियान्विति के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उसे समाप्त कर देने का सरकार का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : आज हम इस विषय के एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं और तब हम इन प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्रीमती अकम्मा देवी: क्या मैं जान सकती हूं कि चोरी छिपे सोना लाने ले जाने की दर पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है या कम हो गयी है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बताना मुश्किल है । लेकिन हर साल कीमत बढ़ने के मुकाबले में इस समय मूल्य स्थिर रहने और अधिक सोना पकड़े जाने से यह दिखाई पड़ता है कि सोने का तस्कर व्यापार बढ़ा नहीं है लेकिन ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

श्रीमती सावित्री निगम: इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि मूल्य बढ़ता जा रहा सोने का चोरी छिपे व्यापार बन्द नहीं हुआ है, स्वर्ण नियंत्रण आदेश के बारे में अभी हाल में क्या निश्चय किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : दोनों ही बातें पूरी तरह सच नहीं हैं । जैसा कि मैंने बताया, मूल्य एक अवधि में करीब करीब स्थिर हो रहा । इन सभी प्रश्नों पर उस समय सभा में चर्चा की जायगी जब हम स्वर्ण नियंत्रण विधेयक उठायेंगे ।

Shri Achal Singh : It is not a fact that Govt's Gold Control Policy has failed ?

Mr. Speaker ; It must be your opinion.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार यह समझती है कि राज्य की किसी भी कार्यवाही के बावजूद सोने का महत्व बराबर ही कायम रहेगा और यदि हां, तो क्या इस अशुभ स्वर्ण नियंत्रण आदेश को वापस लेने का सरकार का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि सोने के प्रति आकर्षण बराबर ही बना रहेगा । वर्तमान संदर्भ में इसके रहने की जरूरत नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ४००० करोड़ रुपये का सोना छिपा कर रखा गया है और यदि हां, तो स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू किये जाने के बाद से कितने सोने का पता लगाया जा चुका है ?

श्री ब० रा० भगत : यह अनुमान सही नहीं है और उस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता ।

श्री दाजी: लेकिन कितने सोने का पता लगाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस आदेश के अधीन, सोना घोषित करना ऐच्छिक है और इसलिए अभी तक बहुत अधिक घोषित नहीं किया गया है । लेकिन हमें इस कानून की ओर दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखना होगा । कुछ समय में हम इस देश में सोने की मांग कम करना चाहते हैं । यही मुख्य उद्देश्य है ।

श्री दाजी: लेकिन अभी तक कितना सोना घोषित किया जा चुका है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है । मुझे उसके लिए सूचना चाहिये ।

श्री दाजी: यह प्रश्न आज के लिये गृहीत किया गया है । फिर, विधेयक भी आज ही आ रहा है और यही सबसे पहला सवाल होगा जो सदस्य पूछेंगे । यदि इतनी जानकारी भी उन्हें न हो तो वे विधेयक का किस प्रकार समर्थन करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: आपत्ति यह है कि विधेयक भी आज ही आ रहा है । इसलिए यदि विधेयक पर चर्चा होनी है तो सारी बातें अभी इसी समय मंत्री महोदय को मालूम होनी चाहिये ।

श्री ब० रा० भगत : विधेयक पर चर्चा के समय मैं आंकड़े दूंगा । अभी इस समय मेरे पास वे नहीं हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : स्वर्ण नियंत्रण आदेश का एक मुख्य उद्देश्य सोने के तस्कर व्यापार के रूप में विदेशी मुद्रा की बर्बादी रोकना है । क्या सरकार ने इस बात का कोई हिसाब लगाया है कि विदेशी मुद्रा की बर्बादी कहां तक बन्द को गयी है ? वह रिजर्व बैंक या अन्य किसी संस्था द्वारा संकलित आंकड़ों से अवश्य मालूम हुआ होगा । क्या ऐसा कोई हिसाब लगाया जाता है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है और हमारे विदेशी मुद्रा कोष में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री ब० रा० भगत : रिजर्व बैंक इस पर निगरानी रखता है । ऐसी बचत का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष प्रमाण है अर्थात् गैर सरकारी बाजार में मांग, मूल्य और अन्य संकेत । तथ्य यह है कि तस्कर व्यापार विरोधी उपायों को और कठोर कर दिया गया है और अभी हाल में काफी अधिक मात्रा में जो सोना पकड़ा गया है, उससे यह दिखायी देता है कि इन उपायों के कारण तस्कर व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है । इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

प्रश्न संख्या १६४ के बारे में

अध्यक्ष महोदय: अल्प सूचना प्रश्न । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि संख्या १६४ ले लिया जाय ? आज कई मंत्रालयों के बारे में प्रश्न रखे गये हैं लेकिन केवल वित्त मंत्रालय के प्रश्न ही लिये गए और पुनर्वास मंत्री बेकार ही बैठे रहे। इसलिए पुनर्वास मंत्रालय का कम से कम एक प्रश्न लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: श्री इलियास को यह याद रखना चाहिये कि कई बार यह बात उठायी जा चुकी है और प्रश्नकाल समाप्त हो जाने के बाद माननीय मंत्री की प्रार्थना पर ही, न कि किसी माननीय सदस्य की प्रार्थना पर, कोई विशिष्ट प्रश्न जो न दिया गया हो, लिया जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह ठीक है कि इस सभा की प्रथा के अनुसार माननीय मंत्री .....

अध्यक्ष महोदय: प्रथा नहीं, यह निश्चित नियम है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम ध्यान दिलाने की सूचनायें और स्थगन प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन चूंकि यह सवाल आ रहा था इसलिए हमने वैसा नहीं किया । मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दे सकता है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): मेरे माननीय मित्रों को इसकी अपेक्षा सोने में अधिक दिलचस्पी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे सोने में और आप में बराबर ही दिलचस्पी है ।

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हों तो मैं अनुमति दे सकता हूं ।

श्री त्यागी: मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: वह अलग बात है । क्या वे प्रार्थना करते हैं ?

श्री त्यागी : जी नहीं ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION
RAM GANGA DAM

1. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any tunnel of Ram Ganga Dam under construction at Kalagarh caved in after it had been completed ;

(b) the estimated loss of life and property caused thereby ;

(c) whether it is a fact that Patel and Co. who were interested in securing a contract, were advised by the American experts not to construct tunnel there and they gave up the idea of securing this contract on this very account; and

(d) Whether government proposes to hold high level enquiry regarding the serious irregularities being committed at Ram Ganga Dam ?

The Parliamentary Secretary to the Ministery of Irrigation and Power (Shri S.A. Mehdi) : (a) to (d) : A statement giving the requisite information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Slipping of rock face occurred on the downstream face of the diversion tunnel No. 1, under excavation at Ramganga Dam site on the 13th May, 1964.

(b) There was no loss of life or injury to anyone nor any damage to equipment.

(c) When the tenders were called for, three years back, no firm named Patel and Co. tendered for the work. However, Messers Cementation Patel submitted tender for construction of the tunnel but as the tendered cost and time of completion of work were excessive the work was not allotted to them. A start was made recently deparmentally. Fresh tenders have been called for.

(d) No irregularities in the Project have so far come to the notice and the question of holding a high level inquiry, does not, therefore, arise.

Shri Prakash Vir Shastri: As has been stated by the hon. Minister in his reply during the excavation of a tunnel at Ramganga Dam site at Kalagarh, slipping of rock face occurred. I would like to know whether foreign experts are not consulted before constructing these tunnels on which crores of rupees of foreign money is being spent and what are the causes of such accidents.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): इस परियोजना के लिए परामर्शदाताओं का एक बोर्ड है और उसमें विदेशी विशेषज्ञ हैं। इस मामले में चट्टान खराब थी और उस पर मुख-द्वार बनाई जाने वाली थी। दुर्भाग्य से एकाएक बरसात हो गयी जिससे वह चट्टान गिर गई।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वह सुरंग पूरी हो जाने के बाद पता लगा कि चट्टान में खराबी थी। इंजीनियर लोग पहले यह क्यों नहीं मालूम कर सके कि उसमें यह खराबी है ताकि उस पर इतना धन खर्च न किया जाता ?

डा० कु० ल० राव: मैंने वही बताया है कि हम जानते थे कि दरवाजे पर चट्टान खराब है और इसीलिए परियोजना अधिकारी मुख द्वार का ढांचा बनाना चाहते थे जिससे इस तरह के फिसलन को रोका जा सके। वह किया जाने वाला था लेकिन दुर्भाग्य से जल्दी ही अचानक वर्षा हो गयी और नतीजा यह हुआ कि चट्टान गिर गई।

Shri Prakash Vir Shastri : Does Government possess any information that at Ramganga Dam site at Kalagarh, high officers working there have given big contracts to their relations resulting in huge smuggling of iron, cement and similar other materials belonging to Government, and what measures are proposed to be taken to enquire into these irregularities ?

डा० कु० ल० राव: मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट उदाहरण मुझे बतायें तो मैं जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह पता लगाया जाय कि ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है।

श्री इकबाल सिंह : क्या इस सुरंग के सम्बन्ध में, किसी विदेशी परामर्शदाता की राय ली गयी थी ; यदि हां, तो उस परामर्शदाता का नाम क्या है और उसकी राय क्या है ?

डा० कु० ल० राव: जैसा कि मैंने बताया, इस राम गंगा बांध के लिए एक परामर्शदाता-बोर्ड है। उस बोर्ड में विदेशी-परामर्शदाता भी हैं जैसे डा० निकेल और श्री कुक्स। इन बातों पर बोर्ड में चर्चा हुई थी और एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। दुर्भाग्य से काम पूरा नहीं किया जा सका। समय से पहले ही वर्षा हो गयी और बाद में चट्टान गिर गयी।

श्री इकबाल सिंह: मेरा प्रश्न यह था कि इस सुरंग के बारे में क्या विदेशी परामर्शदाताओं की राय ली गयी थी और वह क्या राय थी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि परामर्शदाता बोर्ड में विदेशी परामर्शदाता हैं। उन्होंने नाम भी बताया है।

श्री जोकीम आल्वा: सुरंग बनाने और चट्टानें काटने का यह काम हमेशा गैर सरकारी ठेकेदारों को दिया जाता है। क्या यह काम खुद ही अपने विभाग द्वारा करने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

डा० कु० ल० राव: देश में अच्छे ठेकेदार हैं जो सुरंगें बनाने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह काम विभाग की ओर से नहीं कराया जा रहा था ?

डा० कु० ल० राव : टेन्डर मंगवाये गये थे और जब हमने यह देखा कि टेन्डर बहुत ऊंचे हैं तब यह काम विभाग द्वारा कराया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री आल्वा यह जान लें कि वह विभाग की ओर से कराया जा रहा था, न कि ठेकेदारों से।

श्री सिंहासन सिंह: क्या काम शुरू करने से पहले चट्टान की परीक्षा कर ली गई थी ? क्या विशेषज्ञों ने यह जांच लिया था कि चट्टान कायम रहेगी और वह गिर नहीं जायेगी ?

डा० कु० ल० राव: सुरंग नहीं खोदी गई थी। वह हर दो फुट के अन्तर पर इस्पात के ढांचों के सहारे पर है। बात यह हुई कि सुरंग के सिरे पर चट्टान गिर गई।

Shri Yashpal Singh : Will the hon. Minister tell who will be held responsible for this damage *i.e.*, the State Government, Central Government, any department, any contractor or engineer?

Mr. Speaker : They say that there has been no damage.

Shri Yashpal Singh : He says that dam collapsed which resulted in loss.

Mr. Speaker : In his statement he has said that there was no damage.

Shri Yashpal Singh : He says that damage was caused not by contractors but by Government agency.

डा० कु० ल० राव: वह काम विभाग की ओर से किया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय: कितना नुकसान हुआ ?

डा० कु० ल० राव: इस दशा में नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है लेकिन मेरा अनुमान कि वह ५०,००० रु० से कम होगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Was it not necessary to make a study before starting the construction work as to whether a dam could be constructed on such a weak rock ?

डा० कु० ल० राव: हम जानते थे कि रामगंगा परियोजना चट्टान खराब है लेकिन वह परियोजना बनानी ही थी क्योंकि उससे बहुत अधिक लाभ थे। उदाहरणार्थ इस परियोजना से १७ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। सिर्फ हमें पर्याप्त सावधानी बरतनी थी। कुछ कठिनाई की आशंका हमें थी लेकिन उसके बावजूद हमें ये सुरंगें बनानी हैं।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

—।—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार:
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बिचिबावा:
श्री म० ना० स्वामी:

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ दिनों में कुमारी अन्तरीपा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर पुराकड (केरल में अलप्पी के निकट) में दो मील लम्बा समुद्री तट कट गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनता और राष्ट्रीय राजपथ को कितनी क्षति पहुंची ; और

(ग) तट के कटाव को रोकने के क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय राजपथ को कोई क्षति नहीं पहुंची अभी तक आस पास की सम्पत्ति को थोड़ी ही क्षति पहुंची है ।

(ग) केरल सरकार ने तत्कालीन समुद्र द्वारा कटाव के विरोधी उपाय किये हैं जिसमें समुद्र तट को कृत्रिम रूप से मजबूत बनाने और समुद्री दीवार बनाना शामिल है ।

श्री अ० क० गोपालन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने किसी वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कु० ल० राव: कुछ समय पहले राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता की मांग की थी। वे चाहते थे कि धन सहायता अथवा अनुदान के रूप में दिया जाये। यह धन ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस रकम को अनुदान के रूप में देने अथवा न देने के बारे में यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार इस मामले को वित्त आयोग के समक्ष रखे । .

श्री अ० क० गोपालन: क्या मैं जान सकता हूं कि समुद्री कटाव को रोकने के लिये कई उपाय किये जाने के बावजूद ऐसा क्यों है कि इस राष्ट्रीय राजपथ को कई बार कई ओर से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

डा० कु० ल० राव: इस स्थान पर समुद्री कटाव बड़ा भयंकर होता है। इसीलिये हम इस क्षेत्र की रक्षा के लिये एक नई प्रकार की समुद्री दीवार बना रहे हैं ।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य मंत्रालयों, अर्थात्, परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से होने वाले व्यय का कुछ भाग वहन करने को कहा है क्योंकि रेलवे और राजपथ दोनों को ही खतरा है ।

डा० कु० ल० राव: यह प्रार्थना करना तो राज्य सरकार का काम है ।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य की बड़ी लम्बी तटीय रेखा है और इस समुद्री कटाव से इस समूची रेखा को खतरा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस पर राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से विचार कर रही है ताकि भारत के सीमान्त का, केरल की सीमा समेत उचित संरक्षण हो और उसे केन्द्रीय सहायता दी जाये ।

डा० कु० ल० राव : मैं बता चुका हूं कि यह देखना राज्य सरकार का काम है कि केरल में समुद्र तट का समुचित संरक्षण हो क्योंकि वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और वहां पर समुद्री कटाव देश के अन्य भागों की अपेक्षा गंभीर होता है। जहां तक सहायता का प्रश्न है, यह धन अनुदान के रूप में दिया जाये या ऋण के रूप में, इस बारे में मैं बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में विचार किया और उन के विचार में इस मामले पर वित्त आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

योजना के लक्ष्यों में कमी

*१५५. श्री प्र० के० देव:
श्री रामपुरे:
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित वे कौन से लक्ष्य हैं जिन के पूर्ण रूप से प्राप्त न किये जा सकने की संभावना है और वे किस सीमा तक पूरे नहीं किये जा सकेंगे;

(ख) निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या तीसरी योजना के गत मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात् इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) तीसरी योजना के अन्त में लक्ष्य-प्राप्ति की संभावनाओं के बारे में जानकारी सभा पटल पर नवम्बर, १९६३ में रखे गये मध्यकालीन मूल्यांकन के अध्याय ३ में दी गयीं है।

(ख) और (ग) क्रियान्विति शीघ्र करने के बारे में किये गये उपाय योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये और अप्रैल, १९६४ में सदस्यों को परिचारित "तृतीय पचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकनों की सिफारिशों के अनुसरण में उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदम' सम्बन्धी दस्तावेज में दिये गये हैं।

ग्राम सुधार कार्यक्रम

*१६१. श्री शिवमूर्ति स्वामी:
श्री साधू राम:
श्री दलजीत सिंह:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम सुधार कार्यक्रम के लिये कुल परिव्यय की कितने प्रतिशत राशि नियत की गई है; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिये अधिक धन नियत करने का निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) विभिन्न प्रकार के अधिकांश विकास कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांवों का सधार होता है। तथापि, यदि **माननीय सदस्य** ग्राम कार्य कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, तो वर्ष १९६४-६५ तक १४.४५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। हर वर्ष उपबन्ध में वृद्धि की जा रही है।

(ख) अभी चौथी योजना के लिये स्वरूप और प्राथमिकता के बारे में विचार नहीं किया गया है।

भारत सहायता 'क्लब'

*१६२. श्री पें० वेंकटासुब्बया:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना के चौथे वर्ष में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता के हेतु भारत सहायता 'क्लब' (एड इंडिया क्लब) से प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९६४-६५ के लिये "भारत सहायता क्लब" के सदस्यों द्वारा १०२८० लाख डालर की कुल सहायता मंजूर की गयी है।

दामोदर घाटी निगम

*१६३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि दामोदर घाटी निगम को दामोदर घाटी बिजली की योजनायें बनाने, बिजली तैयार करने और उसका वितरण करने तथा इसके चारों बांधों का दियंत्रण करने के लिये एक अभिकरण के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों ने दामोदर घाटी निगम की नवीन बिजली परियोजनाओं की लागत में अंशदान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य बिजली बोर्डों को पहले ही वचन दे रखा है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को सिंचाई व्यवस्था का नियंत्रण सौंप जाने के परिणाम स्वरूप किये गये परिवर्तनों के कारण दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिये कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

विवरण

दामोदर घाटी निगम् के कार्य के पुनर्गठन के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के अन्तिम निर्णय किये जाने हैं।

तीसरी योजना के बनाने के समय पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम की विद्युत् योजनाओं, दूसरी योजना की बची हुई योजनाओं और तीसरी योजना की नयी परियोजनाओं दोनों की लागत का, यदि रकम को राज्य योजना में शामिल किया जाना है, अंश देने से इन्कार कर दिया था।

बिहार को उन की राज्य योजना में दामोदर घाटी निगम के अंश को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं थी ।

दामोदर घाटी निगम के बांध और सिंचाई प्रणाली को चलाने और बनाये रखने का कार्य इस समय एक अभिकरण आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया है । इस के लिये अधिनियम में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं है ।

माना शिविर

*१६४. **श्री मुहम्मद इलियास:**
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन:

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने शरणार्थी माना शिविर छोड़ कर वापस पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं ;

(ख) माना शिविर छोड़ने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें वापस माना शिविर में ले जाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार ने शरणार्थियों के लिये अधिक शिविर खोलने का निर्णय किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) और (ग) माना शिविर छोड़ने वाले शरणार्थियों की ठीक संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) कुछ शरणार्थी अस्थायी शिविर इस लिये छोड़ गये हैं क्योंकि :

(१) वहां पर गर्मी काफी है, और उस के आदी नहीं हैं; और

(२) वहां पर पर्याप्त जल-संभरण का अभाव है । अन्य लोग या तो पश्चिम बंगाल में अपने सम्बन्धियों के साथ रहने के लिये अथवा पश्चिम बंगाल में अपने स्वयं के प्रयत्नों से पुनर्वासित होने के लिये छोड़ गये हैं ।

(घ) जी, हां ।

कृष्णा-गोदावरी नदी जल-विवाद

*१६५. **श्री कोल्ला वेंकया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन (जोनल कान्फ्रेंस) के अवसर पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के उपयोग के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में मकान निर्माताओं को सुविधायें

*१६६. **श्री बूजराज सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमि के अर्जन के बारे में भारत सरकार की हाल की गजट अधिसूचना जारी होने के बाद से इमारती सामान के मूल्य बढ़ गये हैं और मजूरी अधिक हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को और अन्य लोगों के मकान निर्माण के लिये दिये जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये दिल्ली में, भावी मकान-निर्माताओं को अधिकतम सुविधायें देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) निम्न आय-वर्ग और मध्यम आय-वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत ग्राह्य ऋण सहायता की रकम में सामान्य वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली में संभावित मकान निर्माताओं को दी गयी सुविधाएं

दिल्ली प्रशासन द्वारा संभावित मकान निर्माताओं को अंशतः सार्वजनिक नीलामी और अंशतः लाट डाल कर बड़ी संख्या में विकसित प्लाट दिये जा रहे हैं। लाट केवल निम्न-आय वर्ग वालों के लिये डाले जाते हैं । वर्ष १९६५ के अन्त तक लगभग १०,००० विकसित प्लाट दिये जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त सहकारी मकान-निर्माण समितियों को अविकसित भूमि दी जा रही है जोकि वर्ष १९६५ के अन्त तक लगभग ८००० प्लाटों का विकास करेंगी ।

(२) नगर निगम ने मकानों के नक्शे मंजूर करने के लिये प्रक्रिया में सुधार किया है । निगम का मकान-उप-नियमों को भी सरल बनाने का विचार है ताकि बहत् योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को ढका जा सके ।

(२) निम्न आय-वर्ग और मध्य आय-वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान-निर्माण ऋण दिये जा रहे हैं । वर्ष १९६३–६४ में निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत कुल ४६ लाख रुपये और मध्य आय-वर्गेर आवास योजना के अन्तर्गत ४९ लाख रुपये दिये गये हैं । दिल्ली के लिये वर्ष १९६४–६५ में इन दो योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ५४ लाख रुपये और ६० लाख रुपये रखे हैं ।

(४) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका की आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद दिल्ली प्रशासन अपने सीमेंट और इस्पात का सारा आवंटन गैर-सरकारी मकान-निर्माताओं को कर दिया जाता है।

ग्राम्य जल संभरण

*१६७. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य जल संभरण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के रास्ते में किस प्रकार की मुख्य समस्यायें हैं तथा ५०० अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करने का उद्देश्य किस तिथि अथवा वर्ष तक पूरा कर दिया जायेगा;

(ख) ऐसी योजना की कुल लागत तथा पूंजीगत व्यय क्या होगा;

(ग) क्या कोई विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मांगी गई है तथा प्राप्त कर ली गई है तथा यदि हां, तो क्या; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य इंजीनियर पर्याप्त संख्या में नियुक्त हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) ग्राम्य जल संभरण योजनाओं को लागू करने के मार्ग में बाधक मुख्य समस्यायें धन, सामग्री और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी की है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के लगभग हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर देने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल दुर्गम और कमी वाले क्षेत्रों में जल-संभरण के लिए ५ अरब रुपये की आवश्यकता होगी।

(ग) राष्ट्रीय जल-संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय और ग्राम्य दोनों) की क्रियान्विति के लिये सामग्री और उपकरण के रूप में अमरीका सरकार द्वारा ६५ लाख डालर दिये गये। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि कुछ राज्यों में चुनीदा क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण के लिये उपयुक्त बृहत् परियोजना स्थापित करने के लिये लगभग ५ लाख डालर की सामग्री और उपकरण की सहायता करने को सहमत है।

(घ) देश में सक्षम लोक स्वास्थ्य इंजीनियर तो हैं लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है।

नेफा में शरणार्थियों का पुनर्वास

*१६८. श्री प्र० के० देव :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास करने के प्रस्ताव की जांच सरकार ने कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) और (ख). नेफा के तीरपपुन्टीयर डिवीजन में मियाओ और विजयनगर के बीच कृषि में पूर्वी पाकिस्तान से आये १००० नये परिवारों को फिर से बसाने का प्रस्ताव है। अभी नेफा प्रशासन से विस्तृत योजना प्राप्त नहीं हुई है।

आय कर अधिकारियों द्वारा जांच

*१६९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री १९ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में एक व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये से अधिक के एक अनादृत चैक[1] दिये जाने के मामले में आय कर अधिकारियों द्वारा की गई जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख). इस व्यक्ति द्वारा दिये गये एक लाख रुपये के चैक के अनादत होने का सम्बन्ध उसके आय-कर निर्धारण से इतना ही सम्बन्ध है कि उसने उसके थोड़े समय बाद ही नई दिल्ली के मेसर्ज रायसीना पब्लिकेशन्स के अंशों में दो लाख रुपये कहां से विनियोजित किये। वर्ष १९६३–६४ के लिए कर-निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष १९६३–६४ के आय-कर निर्धारण वर्ष तक के लिए इस व्यक्ति का कर-निर्धारण पूरा हो चुका है और छिपाई गयी आय का मूल्यांकन कर लिया गया है। आय छुपाने के लिये दाण्डिक कार्यवाही की गयी है और वह लम्बित है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*१७०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को घोषित पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने का काम सौंपा गया है;

(ख) उल्लिखित क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) इस मंत्रालय द्वारा चालू की गई विकास योजनाओं से पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को किस सीमा तक लाभ होगा; और

(घ) क्या प्रस्तावित विकास मूलत: आदिवासियों समेत स्थानीय निवासियों का किया जायेगा ?

[1]Dishonoured Cheque.

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) पुनर्वास मंत्रालय को उन विशेष क्षेत्रों के विकास के लिये, जिनके बारे में समय समय पर प्रधान मंत्री द्वारा बताया जाये, उत्तरदायी ठहराया गया है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुछ क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में प्राथमिक अध्ययन किये जा रहे हैं लेकिन अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ). यद्यपि प्राथमिक उद्देश्य उस क्षेत्र के, इसके संसाधनों को ध्यान में रख कर, समेकित विकास का है, उन क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की संभावना को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

परिवार नियोजन के लिये गर्भनिरोधक वस्तुयें

*१७१. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री धवन :
श्री विशनचन्द सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में रबड़ की गर्भ-निरोधक वस्तुओं के निर्माण की परियोजना कहां तथा कब स्थापित हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस पर कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

राजस्थान में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनाएं

३८१. **श्री तन सिंह** : क्या **योजना** मंत्री १९ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें कन स्थानों पर चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में क्या कार्य हो रहा है; और

(ग) अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गयी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) राजस्थान में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें चुरु और नागौर में चल रही हैं ।

(ख) परियोजनाओं में चुने हुए ग्राम्य क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास के अधिकतम विकास पर बल दिया जा रहा है । आरम्भ में स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय मंडियों और स्थानीय योग्यता पर आधारित उद्योगों का विकास किया जायेगा । उद्योग कार्यक्रम को समूचे क्षेत्र के लिये विकास की समेकित और समन्वित योजना का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है ।

(ग) ये कार्यक्रम अभी शुरू हुए हैं और अभी सफलता के बारे में नहीं बताया जा सकता ।

पदाधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

३८२. **श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६३ से ३० अप्रैल, १९६४ तक की अवधि में योजना आयोग द्वारा विभिन्न फेलोशिप और योजनाओं के अन्तर्गत विदेश भेजे गये पदाधिकारियों के नाम और पद क्या हैं,

(ख) हर मामले में कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है; और

(ग) क्या अमरीका, ब्रिटेन और अन्य योरोपीय देशों में इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का सारा व्यय आयोजक संगठनों/देशों/सहायता संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २९३६/६४**] ।

"Contraband Gold"

383. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a news report in the Hindustan Samachar dated the 8th May, 1964, contraband gold weighing 13 seers and 10 tolas was seized at Ratlam—Shyamgarh Railway Station ;

(b) the value of the gold; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes Sir. At Shyamgarh Railway Station, 105 slabs of gold of 10 tolas each with foreign markings were seized from 2 passengers travelling by Frontier Mail *ex* Bombay.

(b) Rs. 65625/- at international rate.

(c) 3 persons have been arrested so far.

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

३८४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के मामले में सार्वजनिक प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की थी;

(ग) यदि हां, तो योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) किन राज्यों ने वर्ष १९६३–६४ के लिए अपनी योजनाओं को पूरा कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) कुछ राज्यों में मध्यम परियोजनाओं पर योजना-व्यय में कमी होने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) उचित कार्यवाही करने के लिये इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की गयी है।

(घ) योजना में योजनायें हर वर्ष के लिये शामिल नहीं की जातीं बल्कि समूची योजनावधि के लिये शामिल की जाती हैं।

Gandhi Sagar Dam

385. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the quantum of electricity supplied to Rajasthan from Gandhi Sagar Dam and how much out of that utilised;

(b) whether it is a fact that a number of factories could not be started on account of shortage of electricity; and

(c) if so, when the increased supply of electricity would be possible and the quantum thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) About 43 to 44 MW of electricity is being supplied to Rajasthan from the Gandhi Sagar Power Station and the entire supply is being utilised.

(b) The State Electricity Board states that it will be able to meet the commitments made already.

(c) Additional power to the extent of 100 to 180 MW is likely to be available from 1967 onwards.

Insurance Companies

386. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of insurance companies working at present in India and the number of those among them which are registered for general insurance and the number of Indian and foreign companies, separately, among them; and

(b) the total income of all these categories of insurance companies?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) (a) : On 1st May, 1964 the number of insurance companies registered under the Insurance Act, 1938 to transact one or more classes of general insurance business was 138, of which 72 were Indian and 66 non-Indian insurers. In addition the Life Insurance Corporation of India is now registered for life and all th three classes of general insurance business.

(b) The total income of Indian and non-Indian Insurers during the year ending 31st December, 1962 amounted to about Rs. 55·98 crores. In addition, the total income figures of the Life Insurance Corporation of India for the 15 months period ended 31st March, 1963 amounted to about Rs. 186·84 crores.

Ayurvedic Dispensaries

387. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have undertaken measures with a view to give encouragement to Ayurvedic dispensaries in Delhi and other cities; and

(b) If so, the number of Ayurvedic dispensaries being run by Government at present, and the money earmarked for them under the current Plan?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). Establishment and maintenance of Ayurvedic dispensaries is primarily the concern of the State Governments. A provision of over Rs. 650 lakhs has been made in the State Plans for the development of indigenous Systems of Medicine which includes establishment of Ayurvedic dispensaries. The Government of India have opened an Ayurvedic dispensary under the C.G.H.S. in Gole Market area, Delhi.

नगरों को उच्च श्रेणी का बनाया जाना

३८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या और बढ़ते हुए निर्वाह-व्यय के आधार पर अधिक नगरों को उच्च श्रेणी का बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो किन नगरों को उच्च श्रेणी का बनाये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं, इस समय नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महलनबीस प्रतिवेदन

३८९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महलनबीस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी सिफारिशें किस हद तक स्वीकार कर ली हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). समिति ने अपने प्रतिवेदन का केवल भाग १ ही दिया है। भाग २ प्रतीक्षित है। समिति ने स्वयं यह इच्छा व्यक्त की है कि सरकार प्रतिवेदन को दोनों भागों पर एक साथ विचार करे। इतने समय में प्रतिवेदन के भाग १ का परीक्षण किया जा रहा है।

संसद सदस्यों के लिए आवास स्थान

३९०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ में (१) संसद् सदस्यों और (२) मन्त्रियों के आवास-स्थानों में सुधार करने पर कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) और क्या सुधार किये जायेंगे और इसका प्राक्कलित व्यय कितना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी तकनीकी व्यक्ति

३९१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-मुक्त वेतन के आधार पर नियोजित विदेशी तकनीकी व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या किसी अन्य वर्ग को भी यह रियायत दी जाती है ; और

(ग) इस बात को देखने के क्या तरीके हैं कि इस रियायत का दुरुपयोग न किया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) वर्ष १९६३-६४ में कर-मुक्त वेतन के आधार पर नियोजित विदेशी तकनीकी व्यक्तियों की कुल संख्या १६३८ थी।

(ख) जी, हां। वित्त अधिनियम, १९६४ के उपबन्धों के अन्तर्गत कर-मुक्त वेतन की रियायतें विदेशी व्यक्तियों की निम्नलिखित दो श्रेणियों के लिए रखी गयी हैं :

(१) विश्वविद्यालय में अथवा अन्य शिक्षा संस्थाओं में प्रोफेसर अथवा अन्य अध्यापक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति, जहां कि सेवा के ठेके का केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया हो ; और

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसन्धान योजना के सम्बन्ध में भारत में अनुसन्धान कार्य करने वाले व्यक्ति।

कर-मुक्त की रियायत उन विदेशी व्यक्तियों को भी दी जाती है जिनको भारत सरकार और विदेशी राज्य-सरकार के बीच हुए एक करार के अनुसरण में किन्हीं सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत में काम करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(ग) उन सभी मामलों में जहां एक विदेशी तकनीशियन कर-मुक्त वेतन की रियायत ३६५ दिन से अधिकतम लेना चाहता है और उन सभी तकनीशियनों के मामलों में जिन्हें औद्योगिक अथवा

व्यापार प्रबन्ध में विशेष ज्ञान और योग्यता-प्राप्त हों, उसको भारतीय फर्म के साथ अपना सेवा-संविदा केन्द्रीय सरकार की ओर से उद्योग मन्त्रालय से अनुमोदित कराना पड़ता है। सेवा के ऐसे संविदा को अनुमोदित करते समय उद्योग मन्त्रालय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है। यदि आवश्यक हो तो उद्योग मन्त्रालय सम्बन्धित प्रशासी मन्त्रालय के परामर्श से यह देखता है :

(१) कि परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रश्नाधीन विदेशी तकनीशियनों का नियोजन आवश्यक है ;

(२) कि अपेक्षित अर्हता और अनुभव वाले भारतीय व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ;

(३) कि विदेशी तकनीकी व्यक्ति आय-कर अधिनियम, १९६१ में दी गयी व्याख्या के अनुसार "तकनीशियन" की परिभाषा में आते हों ;

(४) ऐसी व्यवस्था की जाये जहां पर्याप्त संख्या में भारतीय व्यक्तियों को विदेशी व्यक्तियों के साथ प्रशिक्षण के लिए रखा जाये ताकि वे उनकी सेवावधि समाप्त होने के बाद उनका स्थान ले सकें।

सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

३९२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री १३ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का दिल्ली के सेवा निवृत्त कर्मचारियों तक विस्तार किये जाने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना के ब्यौरों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों से बातचीत की जा रही है।

(ग) ख्याल है कि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता इस योजना के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

बैंको नश्योनल अलट्रामैरिनो[1]

३९३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के अनेक व्यक्तियों ने अपने स्वर्ण आभूषण 'बैंको नश्योनल अलट्रामैरिनो' में जमा करवा रखे थे जिसे कि गोआ के भारत में मिलाये जाने के बाद बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मालिकों को उनके आभूषण वापस दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) प्रस्तावित कार्यवाही के कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

---

[1]Banco Nacional Ultramarino

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). स्वर्ण आभूषणों और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं को पुर्तगाली अधिकारी गोआ से जाते समय लिस्बन को अपने साथ ले गये। इन वस्तुओं की वसूली के लिये कार्यवाही करने से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन हैं।

Bundelkhand Ayurvedic College, Jhansi

394. **Shri Subodh Hansda :**
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :

Will the Minister of **Health** be pleased to state the progress made in the management of Bundelkhand Ayurvedic College, Jhansi, being taken over by Central Government?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : No such proposal is under consideration of the Central Government.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

३९५. श्री प्र० के० देव : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार देश के अन्य भागों तक करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) क्या उस योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). तृतीय योजना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में लागू करने का विचार था। योजना ८-११-१९६३ से केवल बम्बई में लागू की गई थी। तृतीय योजना में इसके लिये आवंटित किया गया धन योजना को अन्य शहरों में लागू करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

Excise Duty on Radio Aerials

396. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that excise duty on radio aerials has been raised from five to fifteen per cent; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). The Central Excise Tariff as revised by the Finance Act, 1964, has been interpreted in this way in one Collectorate. The questions of propriety of this interpretation and the need for restoring the original position are being examined.

812(Ai)LSD—4

गांवों में जल संभरण पर विचार गोष्ठी

३९७. **श्री पें० वक्टासब्बया :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गांवों में जल सम्भरण के सम्बन्ध में हाल ही में दिल्ली में कोई विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में क्या मुख्य सुझाव रखे गये; और

(ग) सरकार उन सुझावों पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, नहीं। हाल में ही दिल्ली में जो विचार गोष्ठी हुई थी वह शहरों में जल सम्भरण और मल-निस्सारण व्यवस्था से सम्बन्ध में थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंचाई क्षमता

३९८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या सिंचाई और **विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में एक विचार गोष्ठी आयोजित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब आयोजित की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी हां, इस मामले पर चर्चा करने के लिये संसद् के अगले सत्र में एक सम्मेलन बुलाने का विचार है।

दामोदर घाटी निगम नहर

३९९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम नहर में प्रति वर्ष कितना माल ढोया जा सकता है ;

(ख) इस समय कितना माल ढोया जाता है ; और

(ग) इस समय यातायात पर कौन नियन्त्रण कर रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) आशा है कि पूर्ण विकास होने पर नहर में प्रति वर्ष कुल २० लाख टन माल ढोया जा सकेगा।

(ख) नहर में वाणिज्यिक यातायात अभी चालू नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शरणार्थियों के लिये नये उद्योग

४००. श्री गो० महन्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या पुनर्वास मंत्री ३० अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नये उद्योगों के स्थापित करने के सम्बन्ध में विस्तृत योजनायें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

औद्योगिक निगम

४०१. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन किन औद्योगिक निगमों को लंका, ईराक, बर्मा, पूर्वी अफ्रीका और लिबिया के उद्योगों में धन विनियोजन के लिये अनुमति दी है; और

(ख) वे कौन से उद्योग हैं जिन में निगम पूंजी लगाना चाहते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्न विवरण में दी हुई है ?

क्रम संख्या	निगम/फर्म का नाम	देश, जिस में विनियोजन की अनुमति दी गई है	उद्योग
१.	मुनिचेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, बम्बई ।	लंका	औषध निर्माण
२.	जय इंजीनियरिंग वर्कस् लिमिटेड, कलकत्ता	लंका	सिलाई की मशीनें
३.	ओरियन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	ईराक	पंखे
४.	जय इंजीनियरिंग वर्कस् लिमिटेड, कलकत्ता	बर्मा	सिलाई की मशीनें
५.	डेल्टा स्पोक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई	पूर्वी अफ्रीका	साइकिल की तीलियां
६.	इण्डियन हयूम पाइप कम्पनी लिमिटेड	लिबिया	कंक्रीट की पाइप

योजना कार्यक्रमों का प्रभाव

४०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोग, रहन सहन और रोजगार के स्तरों और कृषि के नवीन तरीकों के उपयोग पर योजना कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस समय मामला किस अवस्था पर है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). २ और ३ मई, १९६४ को हुई, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में अध्ययन प्रतिवेदन के तकनीकी और अन्य ब्यौरों पर चर्चा की गई थी और उन्हें अन्तिम रुप दिया गया। राज्य सरकारों द्वारा अध्ययन करने के लिये एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है और आशा है कि समेकित प्रतिवेदन मार्च, १९६५ तक तैयार हो जायेगा ।

दिल्ली में 'रेबीज' रोग निरोधक टीकों की कमी

४०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में "रेबीज" रोग निरोधक टीकों की भारी कमी है जब कि "रेबीज" रोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो टीकों की व्यवस्था करने और रोग को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के अस्पतालों में एक्सरे के उपकरण

४०४. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६४ के अन्त तक उड़ीसा राज्य में कितने अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में एक्सरे के उपकरणों की व्यवस्था की गई; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को एक्सरे का कोई उपकरण दिया है अथवा १९६४–६५ में देने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

(ख) कटक में १९६३–६४ में एक जिला तृपेदिक क्लिनिक स्थपित करने के लिये एक 'सिंगल एक्सरेयूनिट' और जिला प्रयोगशाला उपकरण के एक सैट की सप्लाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के द्वारा प्रबन्ध किये गये थे। पुरी क्लिनिक के लिये एक एक्सरे यूनिट सप्लाई करने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है ।

विज्ञान भवन

४०५. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में विज्ञान भवन, नई दिल्ली से किराये के रुप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) उसी अवधि में विज्ञान भवन की मरम्मत पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) गैर-सरकारी पार्टियों से ६०,५२५ रु० किराये के रुप में प्राप्त किये गये थे। मंत्रालय और विभाग सरकारी प्रयोजनों के लिये विज्ञान भवन का उपयोग करने के लिये किराया नहीं देते।

(ख) मरम्मत और संधारण, जिस में जल, टेलीफोन और बागबानी संबंधी कार्यों के खर्चे भी शामिल हैं; पर लगभग २,०३,३०० रु०।

स्कूलों के स्वास्थ्य कार्यक्रम

४०६. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने, स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये सामुदायिक विकास खंडों में स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिये, राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवायें सामुदायिक विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के ऐसे स्कूलों में, जिन में आवश्यक संख्या में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में वृद्धि कर के आरम्भ की जानी चाहिये।

मद्रास में पीने के पानी का संभरण

४०७. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुत्तु गोंडर :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री अ० व० राघवन :
डा० श्रीनिवासन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में पीने के पानी की प्रणाली में सुधार करने के लिए मद्रास सरकार अथवा मद्रास निगम को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस से अवगत है कि मद्रास राज्य में पीने के पानी की भारी कमी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सशीला नायर) : (क) भारत सरकार राज्य सरकार को शहरों में जल संभरण तथा सफाई की योजनाओं के लिये ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देती है। मद्रास राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा इन योजनाओं के लिये जिन में मद्रास निगम की योजनायें भी शामिल हैं; ९५० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ख) जी हां, केन्द्रीय सरकार इस से अवगत है कि मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है।

(ग) मद्रास शहर में पानी का खारापन दूर करने का संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विदेशी अभिकरणों के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है।

राजस्थान में सिंचाई की क्षमता

४०८. **श्री तन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ और १९६३-६४ में राजस्थान में सिंचाई की क्षमता कितनी और है; और;

(ख) प्रत्येक वर्ष में यह कितनी मात्रा तक उपयुक्त रही ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

	१९६२—६३ लाख एकड़	१९६३—६४ लाख एकड़
उत्पन्न क्षमता	८.९२	११.४६
प्रयुक्त क्षमता	६.५७	९.३१
अप्रयुक्त क्षमता	२.३५	२.१५
अप्रयुक्त क्षमता की प्रतिशतता	२६.४%	१८.७%

राजस्थान नहर

४०९. **श्री तन सिंह** :
श्री द० द० पुरी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया है कि राजस्थान नहर परियोजना जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा चलाया जाए। सुझाव विचाराधीन है।

भारत में औसत आयु

४१०. **श्री तन सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत में औसत आयु कितनी है ;

(ख) छोटी आयु में मृत्यु होने के यदि कोई विशेष कारण हैं, तो क्या; और

(ग) इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) संसार के कुछ अन्य देशों, अर्थात् इंगलैंड, अमरीका, रूस, जापान, कनाडा, फ्रांस इत्यादि की तुलना में भारत में औसत आयु इस प्रकार है :—

औसत आयु

देश	अवधि	पुरुष	स्त्रियां
भारत . . .	१९५१–६०	४१.८९ वर्ष	४०.५५ वर्ष
बर्मा . .	१९५४	४०.०८ ,,	४३.८ ,,
लंका . .	१९५४	६०.३ ,,	५९.४ ,,
जापान . . .	१९६०	६५.३७ ,,	७०.२६ ,,
अमरीका .	१९६१	६७.० ,,	७३.६ ,,
कनाडा .	१९५५–५७	६७.६१ ,,	७२.९२ ,,
इंगलैंड और वेल्ज़	१९६१	६८.० ,,	७३.८ ,,
फ्रांस . . .	१९६१	६७.६ ,,	७४.५ ,,
संघानीय जर्मनी गणतंत्र	१९५९–६०	६६.६९ ,,	७१.९० ,,
रूस	१९५८–५९	६४.४२ ,,	७१.६८ ,,

(ख) और (ग). शिशु मृत्यु के कुछ सामाजिक कारण ये हैं : गरीबी का रहन सहन, बुरी आवास व्यवस्था और मकान में अस्वच्छता, अर्थात् पौष्टिक आहार, पर्याप्त पेय जल सम्भरण की कमी जिसके कारण महामारी होती है, शिक्षा का अभाव, विशेषकर माताओं में, अपर्याप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें, संसर्ग रोगों का होना, हानिकारक रिवाज और रवैया और अकुशल दाई तरीकों का विरोध । विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों अर्थात् नगर आयोजना, राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, नर्सों का प्रशिक्षण और सहायक नर्स दाई, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों पर महान आक्रमण, अर्थात् मलेरिया, चेचक उन्मूलन आदि के अन्तर्गत इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

उड़ीसा में गांवों में बिजली लगाना

४११. **श्री मोहन नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६३–६४ में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) १९६४–६५ में कितनी राशि दी जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां ।

(ख) ३० लाख रुपये का ऋण १९६३–६४ में दिया गया था ।

(ग) यह विचाराधीन है ।

उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि

४१२. **श्री मोहन नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६४ को उड़ीसा राज्य में आयकर की कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) न्यायाधिकरण के समक्ष कितनी अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) उड़ीसा राज्य में आयकर की सक्रिय बकाया राशि ३१ मार्च, १९६४ को ९९.५९ लाख रुपये थी ।

(ख) उड़ीसा राज्य की ६८१ अपीलें ३१-३-६४ को न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़ी थीं ।

दिल्ली में चिड़िया घर के एक कर्मचारी की मृत्यु

४१३. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारी को ८ अप्रैल, १९६४ को दो व्यक्तियों ने पीटा और वह नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दाखिल किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसको २४ घंटों तक निगरानी में रख कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपने निवास स्थान पर दो दिन बाद मर गया ;

(ग) यदि हां, तो अस्पताल से छूटने के दो दिन पश्चात् उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई;

(घ) क्या उसकी पूरी डाक्टरी जांच की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो शव परीक्षा का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) उसे ८/९ तारीख को एक रात के लिये निगरानी में रखा गया और ९ को प्रातः अस्पताल से छोड़ दिया गया । वह ११ तारीख को मर गया ।

(ग) से (ङ). जिस अवधि में रोगी अस्पताल में था, दो बार उस की परीक्षा की गई । उसे ९ अप्रैल को प्रातः छोड़ दिया गया क्योंकि उसे छुट्टी दिये जाने योग्य समझा गया । शव परीक्षा से पता चला कि मृत्यु का कारण, मृत्यु से दो या तीन दिन पहले पेडू में संभवतः तेज जोरदार चोट लगने के द्वारा तिल्ली का फट जाना था । दाईं जांघ पर तथा घुटने से नीचे बाईं टांग पर चोटें थीं किन्तु तिल्ली प्रदेश में पेडू दीवार पर कोई चोट नहीं देखी गई ।

वैज्ञानिक उपकरण का निर्माण

४१४. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोगने देश में वैज्ञानिक उपकरण के देशी निर्माण के लिये सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों को कब तथा कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) यह अनुमान है कि वैज्ञानिक उपकरणों से माननीय सदस्यों का अभिप्राय वैज्ञानिक औजारों और प्रयोगशाला के उपकरण से है । प्रविधिक निदेशालय में "वैज्ञानिक औजार निदेशलय" नाम का एक पृथक निदेशालय है जो वैज्ञानिक औजारों और प्रयोगशाला उपकरण के निर्माण की प्रगति की देखभाल करता है । योजना आयोग ने, इस उपकरण के निर्माण की प्रगति पर पुनर्विचार करने के हेतु मई १९६० में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सी० एस० आई० आर० विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं, शिक्षा, प्रतिरक्षा, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों, अन्य संबंधित सरकारी विभागों और उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक केन्द्रीय वैज्ञानिक औजार संगठन स्थापित किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता देना है प्रयोगशाला उपकरण और औजारों के निर्माण कार्य में । इसके अतिरिक्त, औजार उद्योग के लिये, चौथी योजना के लिये मांग का अनुमान लगाने और निर्माण की प्रगति पर पुनर्विचार करने के लिये, योजना आयोग, डी० जी० टी० डी०, अन्य संबंधित सरकारी विभागों और उद्योग के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है । कार्यकारी दल ने अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है और अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

सुवर्णरेखा नदी पर बांध

४१५. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने दो जल विद्युत् घरों के लिये और रांची तथा जमशेदपुर के बीच औद्योगिक पट्टी को जल तथा बिजली देने के हेतु सुवर्ण रेखा नदी के उपर एक बांध बनाने की योजना बनाई है;

(ख) क्या योजना की जांच तथा अनुमोदन संघ सरकार द्वारा किया जा चुका है; और

(ग) अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, परियोजनाओं को चलाने में केन्द्रीय सरकार की सहायता कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के जल-विद्युत् भाग सम्बन्धी योजना के ब्योरे का परीक्षण केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किया जा चुका है और आयोग की सिफारिशों के अनुसार परियोजना प्राधिकारी इन में संशोधन कर रहे हैं ।

जल सम्भरण कार्यों की योजना की परीक्षा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन द्वारा की गई है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है और शीघ्र ही उनकी प्रविधिक मंजूरी मिलने की आशा है ।

योजना आयोग द्वारा अनुमोदन का प्रश्न उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् ही उठेगा ।

(ग) संयुक्त परियोजना की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

(१) बांध तथा जल विद्युत् कार्य (मूल अनुमान के अनुसार) . . .	९.०७ करोड़ रुपये
(२) जल कार्य लगाने का काम . .	२.३९ करोड़ रूपये के लगभग

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग राज्य प्राधिकारियों को परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में सहायता दे रहा है । जहां तक खर्च वहन करने का प्रश्न है, उसकी व्यवस्था साधारण तरीके से राज्य की योजना में की जायेगी ।

Water Reservoir at Wazirabad

416. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction of a water reservoir at Wazirabad has almost been suspended on account of shortage of cement; and

(b) if so, the cause of such situation being arisen?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). The work on the construction of the 40 MGD Water Treatment Plant at Wazirabad was started in July, 1963. The progress of the concrete work on the Treatment Plant had to be slowed down due to short supply of cement during the first 3 months of the current year. Adequate quantity of cement has since been received and the work is in progress.

Gold Smuggling

417. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of smugglers from whom gold was recovered during the period from 1st January, 1964 to 15th May, 1964 alongwith the names of the places of recovery and the value of the gold ; and

(b) the names of the countries from which it is mostly smuggled ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b). Information in this regard is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Rajasthan Canal

418. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a scheme to extend the Rajasthan Canal from Jaisalmer to Kandla is under consideration of Government; and

(b) if so, when this scheme will be implemented and the amount of money to be spent thereon?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) A preliminary study of the possibility of providing a navigational link between tail end of Rajasthan Canal and Kandla was carried out by the Central Water and Power Commission. This is at present under consideration of the Ministry of Transport.

(b) Does not arise at this stage

ग्रामीण आवास योजनाएं

४१९. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर राज्यों ने, उनको ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये दिये गये धन का उपयोग नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा धन का उपयोग न किये जाने के क्या कारण बताये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां, सामान्यतया ऐसी ही बात है ।

(ख) कारण ये हैं :

(१) राज्य सरकारें ग्रामीण आवास योजना को कम प्राथमिकता देती हैं । खण्ड कर्मचारी भी इसकी ओर उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान वे खण्ड के बजट में सम्मिलित अन्य कार्यक्रमों को देते हैं ।

(२) ग्रामीणों को स्थान पर प्रविधिक मार्ग दर्शन देने के लिये ओवरसियर आदि शिक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की कमी और मकानों के वास्तविक निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित कुशल श्रमिकों और कारीगरों की कमी ।

(३) ग्रामीणों प्रायः, अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, योजना के अन्तर्गत उनको दी गई ऋण सहायता को लौटाने में समर्थ नहीं होते ।

जवाई बांध

४२०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जवाई बांध का विस्तार करने में राजस्थान सरकार की सहायता करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है और कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य सरकार द्वारा विचारार्थ कोई योजना अभी नहीं भेजी गई । तथापि राज्य सरकार साई नदी के जल को जवाई जलाशय में बदलने के लिये प्रस्तावों की जांच कर रही है और प्रस्ताव बना रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई में मकानों की कमी

४२१. **श्री रामहरख यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकानों की अत्यधिक कमी अनुभव हो रही है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री महर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मकानों का निर्माण मांग के अनुसार नहीं हो सकता क्योंकि उपयुक्त भूमि नहीं मिलती । जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है और १३२० मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है । ये मकान पहले से विद्यमान ८४७ मकानों के अतिरिक्त होंगे । अधिक मकानों की योजना की जा रही है ।

राष्ट्र निर्माण कार्यों पर व्यय

४२२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ के बजट की कुल राशि में से राष्ट्र निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि की प्रतिशतता का अनुमान लगाया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) १९६४–६५ के बजट में १९६४ करोड़ रुपये ऋणों को छोड़ कर, राजस्व और पूंजी लेखे के कुल व्यय का ४६ प्रतिशत व्यय राष्ट्र-निर्माण कार्यों के निमित्त रखा गया है । योजना के ऋणों को शामिल रखने । राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये पृथक रखा गया व्यय १८१२ करोड़ रुपये या कुल व्यय का ५३ प्रतिशत है ।

दक्षिण खंड के राज्यों में सिंचाई योजनाएं

४२३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में दक्षिण खण्ड के प्रत्येक राज्य के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में पृथकतः बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) राज्यवार दक्षिण भारत के राज्यों में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) क्या जलमग्न गांवों को बसाने के लिये राज्यों को विशेष अनुदान दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो मैसूर राज्य को तुंगभद्रा परियोजना के जलमग्न गांवों के पुनर्वास के लिये कितनी राशि दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त, किसी भी दक्षिणखंडीय राज्य के लिये, गत तीन वर्षों में, विशेष रूप से मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया। नागार्जुनसागर परियोजना के लिये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण इस प्रकार है :—

वर्ष	मंजूर ऋण
१९६१-६२	. १०,००,००,००० रुपये
१९६२-६३	. १०,००,००,००० रुपये
१९६३-६४ . . .	. १०,५०,००,००० रुपये
योग .	. ३०,५०,००,००० रुपये

इसके अतिरिक्त, ३,६४,२३,२४३ रुपये का अग्रेतर ऋण आंध्र प्रदेश को १९६३-६४ में, उनको मंजूर किये गये ऋणों के कारण केन्द्रीय सरकार को दे ब्याज देने के लिये, मंजूर किया गया था।

अन्य राज्यों के समान, दक्षिण खण्ड के राज्यों को, मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं समेत अपनी योजना योजनाओं की क्रियान्विति के लिये वित्तीय सहायता के तौर पर विधि विकास ऋण दिये जाते हैं। राज्य सरकारों को उनकी विविध विकास योजनाओं के लिये अनुदान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। विविध विकास ऋण गत तीन वर्षों में दक्षिण खण्ड के राज्यों को इस प्रकार दिये गये हैं :—

राज्य	विकास योजनाएं		
	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
आंध्र प्रदेश	५८७.५४ लाख रु०	१४५४.०२ लाख रु०	१०३०.११ लाख रु०
केरल	६४६.१० लाख रु०	१३६८.१६ लाख रु०	१३२१.९४ लाख रु०
मद्रास	९३१.८६ लाख रु०	९८६.९९ लाख रु०	१३७५.८० लाख रु०
मैसूर .	१३९०.२४ लाख रु०	१७१९.१६ लाख रु०	१३७३.६० लाख रु०

(ख) दक्षिण खण्ड के राज्यों द्वारा गत तीन वर्षों में, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय, जो सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा प्रतिवेदित रूप मे, नीचे बताया जाता है :—

राज्य	किया गया व्यय		
	१९६१-६२ (वास्तविक)	१९६२-६३ (वास्तविक)	१९६३-६४ (प्रत्याशित)
आंध्र प्रदेश	१४५१.१६ लाख रु०	१४१०.६१ लाख रु०	१५१५.६५ लाख रु०
केरल .	१६९.८८ लाख रु०	१६६.५५ लाख रु०	१६१.२२ लाख रु०
मद्रास .	४६४.४४ लाख रु०	४८८.४२ लाख रु०	६१०.१० लाख रु०
मैसूर .	७१३.८० लाख रु०	५८१.०८ लाख रु०	६५८.७५ लाख रु०

(ग) उत्तर नकारात्मक है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माण और आवास मंत्रालय में सतर्कता एकक

४२४. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा रोकने के लिये एक सतर्कता एकक स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन होंगे; और

(ग) इसकी शक्तियां और कृत्य क्या होंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ऐसा एकक पहले से ही विद्यमान है । इसको अधिक शक्तियां देने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) विचार है कि किसी संयुक्त सचिव को इस एकक का प्रधान बनाना चाहिये ।

(ग) एकक के मुख्य कृत्य ये होंगे :

(१) इस मन्त्रालय के अन्तर्गत नियोजित अधिकारियो के विरुद्ध भ्रष्टाचार और सदाचार की शिकायतों और आरोपों की जांच करना;

(२) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनीय और अन्य कार्यवाही करना;

(३) भ्रष्टाचार को रोकने और इसके उन्मूलन के तरीकों पर सुझाव देना ।

बिहार में औद्योगिक आवास योजना

४२५. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **निर्माण, और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में औद्योगिक मजदूरों के लिये मकानों के निर्माण के लिये बिहार राज्य को कितनी राशि दी गई; और

(ख) क्या जिला पूर्णिया के कटिहार नामक स्थान में औद्योगिक आवास योजना चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ८·६० लाख रु०

(ख) राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ही मंजूर की जाती हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कटिहार में २०० मकानों के निर्माण के लिये २ परियोजनाएं मंजूर की गई थीं और १५२ मकान इस बीच बनाये जा चुके हैं ।

ग्रामों का विद्युतीकरण

४२६. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक कितने गांवों को बिजली दी गई और

(ख) औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिये क्रमशः कितनी कितनी बिजली प्रयोग में लाई गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जनवरी, १९६४ के अन्त तक कुल ३७,४५७ गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई कुल बिजली में से लगभग ४२ प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनों के लिये और लगभग ४० प्रतिशत बिजली कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जा रही है।

रेलवे कर्मचारियों के निवास स्थानों पर छापे

४२७. **श्री गुलशन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने मई १९६४ में दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुछ रेलवे कर्मचारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे ;

(ख) यदि हां, तो वहां से क्या कुछ बरामद किया गया ; और

(ग) क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अग्रेतर जांच की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) ८ मई, १९६४ को एक व्यक्ति, जिसने यह मान लिया था कि उसने पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये गये सोना प्राप्त किया था, दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने के एक रेलवे क्वार्टर से दो पैकेज लाया जिनमें ४४ किलो सोना था और उन पैकेजों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों को सौंप दया। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने किसी रेलवे क्वार्टर की तलाशी नहीं ली थी।

(ग) मामले पर जांच हो रही है। इस सम्बन्ध में ४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

आय कर अधिकारियों की नियुक्तियां

४२८. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी १ और श्रेणी २ के आयकर अधिकारियों के किसी एक स्थान पर रहने की सामान्य अवधि क्या है ;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जो दिल्ली में ५ वर्षों से अधिक समय से हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) किसी विशेष स्थान पर श्रेणी १ और श्रेणी २ के आयकर अधिकारियों के रहने की सामान्य अवधि के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं है। तथापि, व्यावहारिक रूप में, श्रेणी १ और श्रेणी २ दोनों के अधिकारियों का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर ३ से ५ वर्षों के बीच कर दिया जाता है, यद्यपि, प्रशासनिक कारणों की वजह से कभी कभी उनका तबादला इस अवधि से पहले भी कर दिया जाता है अथवा उन्हें इस अवधि से अधिक समय के लिये एक स्थान पर भी रखा जाता है। बम्बई अथवा कलकत्ता जैसे बड़े शहर में, जहां कि इन अधिकारियों के पद एक बड़ी संख्या में होते हैं, आयकर अधिकारी को लगभग ६ से ८ वर्षों के लिये रखा जा सकता है, परन्तु इस अवधि के पश्चात् अन्य सर्किल अथवा अन्य पद पर

उनका तबादला होना निश्चित है। सामान्यतः, एक आयुक्त के कार्यालय में काम कर रहे श्रेणी २ के अधिकारियों को दूसरे आयुक्त के कार्यालय में नहीं भेजा जाता।

(ख) दिल्ली में गत पांच वर्षों से अधिक समय तक लगातार नियुक्त श्रेणी १ के आय कर अधिकारियों की संख्या ३ है। इन में से १ के लिये अन्य पद पर तबादले के लिये आदेश जारी किया जा रहा है। श्रेणी २ के अधिकारियों की संख्या १२ है।

(ग) प्रशासनिक कारणों की वजह से।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर

४२९. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की रामकृष्णपुरम् बस्ती में ऐसे कितने नये निर्मित रिहायशी फ्लैट हैं जो उनके निर्माण के पश्चात् ३ मास से अधिक समय से खाली पड़े हैं और कर्मचारियों को अलाट नहीं किये गये हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जितने समय के लिये उन्हें खाली रहने दिया गया था उससे कितने किराये की हानि हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ऐसे कोई क्वार्टर नहीं हैं जो निर्माण के पश्चात् ३ महीने से अधिक समय तक अलाट न किये गये हों।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आयकर की बकाया राशि

४३०. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६४ को देश भर में आयकर/अधिकर की कुल कितनी राशि वसूली के लिए बकाया थी ;

(ख) उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि वसूल किये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ मार्च, १९६४ को आयकर/अधिकर की बकाया राशि १७०.०८ करोड़ रु० थी। यह राशि अस्थायी है और अन्तिम निश्चित राशि के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिये आयकर अधिनियम, १९६१ में उपबन्धित सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि इस राशि में से चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि वसूल किये जाने की आशा है। पिछले वर्षों में की गई वसूली के आधार पर आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ५० करोड़ रु० की राशि वसूल की जायेगी।

मौज़े, बनियान आदि पर बिक्री कर

४३१. श्री चुन्नी लाल : क्या **वित्त** मंत्री ३० अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोज़े, बनियान आदि पर बिक्री कर की छूट देने का मामला जिसकी कि दिल्ली व्यापार सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है, कब से दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ; और

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है और अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) दिल्ली में मोज़े, बनियान आदि पर बिक्री कर की छूट देने सम्बन्धी सिफारिश फरवरी, १९६४ से दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ख) इस बीच पड़ोस के राज्यों में मोज़े, बनियान आदि पर बिक्री कर लगाने के सम्बन्ध में स्थिति को सुनिश्चित कर लिया गया है और प्रशासन मामले में शीघ्र ही निर्णय करने की आशा करता है ।

गारो पहाड़ी क्षेत्र में बिजलीघर

४३२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गारो पहाड़ी क्षेत्र में नंगल बिबड़ा के स्थान पर एक बिजलीघर बनाने की एक योजना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो बिजलीघर की बिजली पैदा करने की क्षमता क्या होगी ; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) जी, हां । दो योजनाएं, एक योजना ढाई-ढाई मेगावाट के दो सैटों के लिये और दूसरी २ × ३० मेगावाट के लिए, अनुमोदित की गई हैं । २—२.५ मेगावाट के स्टेशन की क्रियान्विति का काम चालू है । ६० मेगावाट की योजना के स्थान पर गोहाटी में एक तापीय केन्द्र मंजूर किया गया है जिसमें ३० मेगावाट का एक तेल क्षेत्र स्टीम सेट होगा और दो १२.५ मेगावाट के गैस टरबाइन सेट होंगे । १२.५ मेगावाट के दो गैस टरबाइन सैटों के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । १२.५ मेगावाट का एक गैस टरबाइन सैट भी केन्द्रीय रक्षित पूल से, गोहाटी में स्थापित करने के लिए, राज्य को दिया गया है । इसका निर्माण जारी है ।

विदेश यात्रा

४३३ { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने विदेश यात्रा पर लगाई गई रोकों में ढील दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रियायतें दी गई हैं और इसके कारण कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) २१ मई, १९६४ को भारत के रक्षित बैंक द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९३७/६४]

परिवर्तनों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन है कि इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होगी, फिर भी आशा है कि प्रभाव केवल सीमान्त होगा ।

खाद्यान्नों की जमानत पर पेशगियां

४३४. **श्री न० प्र० यादव :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती अकम्मा देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २२ अप्रैल, १९६४ को भारत के रक्षित बैंक द्वारा जो अनुदेश जारी किया गया था, जिसमें अनुसूचित बैंकों को यह मंत्रणा दी गई थी कि वे गेहूं की जमानत पर दी गई पेशगियों पर कम से कम ३५ प्रतिशत राशि अपने पास रखें, क्या वह अनुदेश केन्द्रीय तथा राज्य भंडागार निगमों द्वारा विपणन तथा माल तैयार करने वाली सहकारी समितियों को दी जाने वाली पेशगियों पर लागू नहीं होता ;

(ख) जहां तक उच्चतम सीमाओं से छूट का सम्बन्ध है, भांडागार रसीदों की जमानत पर दी जाने वाली पेशगियों के सम्बन्ध में विपणन और/अथवा माल तैयार करने वाली सहकारी समितियां अन्य पार्टियों के मुकाबले में कैसी हैं ;

(ग) रक्षित बैंक के अनुदेशों के अनुसार काम करने से विपणन तथा/अथवा माल तैयार करने वाली सहकारी समितियों को कितना लाभ होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) २१ अप्रैल, १९६४ को भारत के रक्षित बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को जो अनुदेश जारी किया गया था, जिसमें गेहूं की जमानत पर उनके द्वारा दी जाने वाली पेशगियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे, वह अनुदेश विपणन तथा/अथवा माल तैयार करने वाली सहकारी समितियों को दी जाने वाली पेशगियों पर बिल्कुल लागू नहीं होता । केन्द्रीय तथा राज्य भांडागार निगमों द्वारा जारी की गई भांडागार रसीदों की जमानत पर अन्य पार्टियों को दी जाने वाली पेशगियों--जिसमें गेहूं के स्टाक भी शामिल हैं--को भी अनुदेश द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमाओं से छूट दी गई है, यद्यपि अनुदेश में निम्नतम राशि रखने की शर्त है ।

(ग) चूंकि रक्षित बैंक के अनुदेश गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की जमानत पर विपणन तथा/अथवा माल तैयार करने वाली सहकारी समितियों को अनुसूचित बैंकों द्वारा दी जाने वाली पेशगियों पर लागू नहीं होते, इसलिये इन समितियों को लाभ होगा क्योंकि अनुसूचित बैंक उनके विवेक पर इन समितियों को दी जाने वाली पेशगियों के सम्बन्ध में खाद्यान्नों की मात्रा तथा निम्नतम राशि की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उदार हो सकते हैं ।

Sheet Piles

434-A. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently tenders were to be invited from foreign countries for sheet piles worth rupees 60 lakhs;

(b) whether it is also a fact that these tenders were not advertised; and

(c) whether any representation has been made to Government in this behalf and if so, the outcome thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes. Tender quotations were invited for the supply of 8000 metric tonnes of coffer dam sheet piles of the value of about Rs. 50 lakhs.

(b) Yes. Sheet piles of the required specifications are not manufactured by many countries and in order to save time a limited tender enquiry was issued to foreign Trade Missions and representatives of foreign firms in India.

(c) No.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रिटिश गियाना में भारतीयों के मकानों और दुकानों के जलाए जाने के बारे में कथित समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :—

"ब्रिटिश गियाना में भारतीयों के मकानों तथा दुकानों के जलाये जाने के बारे में कथित समाचार ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : ब्रिटिश गियाना की जनसंख्या में मुख्यतया दो गैर-देशीय जाति सामुदायों के लोग सम्मिलित हैं । उन्हें सामान्यतया "अफ्रीकी" और "पूर्वी भारतीय" कहते हैं , ये क्रमशः उन अफ्रीकी और भारतीय श्रमिकों की सन्तानें हैं जिन्हें सौ वर्ष से अधिक हुए इस देश में लाया गया था ।

५९०,१४० (१९६१ की जनगणना के अनुसार) की कुल आबादी में से भारतीय मूल के गियानी लोगों की संख्या २८९,७९० है और अफ्रीकी मूल के लोगों की १५२,६६० यह कुल जनसंख्या का क्रमशः ४९ १/४ और ३२.७ १/४ प्रतिशत है । भारत और अफ्रीका मूलक लोग लगभग १२५ वर्षों से ब्रिटिश गियाना में रह रहे हैं और १९५६ तक उनमें कोई गम्भीर झगड़ा नहीं हुआ । लेकिन १९५७ में पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के टूट जाने पर एक अफ्रीका मूलक गियानी, श्री बर्नहम, के नेतृत्व में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ ।

ब्रिटिश गियाना को १९६१ में आन्तरिक स्वशासन प्राप्त हो गया था। उस साल के चुनावों के आधार पर डाक्टर छेदी जगन की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी को विधान सभा में ३५ में २० स्थान मिले और इस तरह वे सत्तारूढ़ हुए। प्रमुख विरोधी दल का नेतृत्व श्री बर्नहम करते हैं।

आजकल ब्रिटिश गियाना में जो संकटपूर्ण स्थिति है उसके कई कारण हैं। विचार सम्बन्धी मतभेदों और दोनों प्रमुख दलों के मुख्यतया जातिगत स्वरूप के अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन सिस्टम) के अन्तर्गत इस वर्ष के अन्त में चुनाव कराने के विचार से एक नई चुनाव पंजीकरण प्रणाली को लागू करने की जो कोशिशें कीं, उससे यह झगड़ा ज़ोर पकड़ गया है।

चीनी उद्योग में भारतमूलक लोगों के दो मजदूर संगठनों में झगड़ा हो जाने से यह वर्तमान संकट फरवरी, १९६४ से चल रहा है। इसमें अफ्रीकामूलक लोग भी शामिल हो गए हैं। गवर्नर ने २३ मई, १९६४ को आपाती स्थिति की घोषणा कर दी थी। २६ मई तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, १५ व्यक्ति मरे हैं, २९७ घायल हुए हैं और ४८८ मकानों को नुकसान पहुंचा है या वे बर्बाद हो गये हैं। इन झगड़ों में कोई भारतीय राष्ट्रिक हताहत नहीं हुआ है।

डाक्टर जगन और श्री बर्नहम, दोनों संकटग्रस्त स्थानों पर गए हैं और उन्होंने शान्ति के लिए अपील की है। ब्रिटिश सरकार ने हवाई जहाज द्वारा और सैनिक इस उपनिवेश में भेज दिए हैं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उन पूर्वी भारतीयों को मुआवज़ा दिलाने के बारे में, जिन्होंने क्षति उठाई, तथा इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : चूंकि वह लोग ब्रिटेन के अधीन हैं इसलिए सरकार उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या सरकार को मालूम है कि वहां के गृह मंत्री ने त्याग-पत्र क्यों दिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमें समाचारपत्रों से मालूम हुआ है कि वहां के गृह मंत्री श्रीमती जगन, ने पुलिस द्वारा भेदभाव किये जाने का विरोध करते हुए त्याग-पत्र दिया है। सरकारी तौर पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

सभा पटल पर रखें गयें पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जमा बीमा निगम के कार्य संचालन की ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं (१) जमा बीमा निगम अधिनियम, १९६१ की धारा ३२ की उप धारा (२) के अन्तर्गत जमा बीमा निगम के कार्य संचालन की ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की, वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित, एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७५८/६४]

तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

संसद्-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : –

(२) तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :–

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ सातवां सत्र, १९६४

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२९२४/६४]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५ छठा सत्र, १९६३

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२९२५/६४]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ पांचवा सत्र, १९६३

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२९२६/६४]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ११ चौथा सत्र, १९६३

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२९२७/६४]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १४ तीसरा सत्र, १९६२–६३

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२९२८/६४]

(छ) अनुपूरक विवरण संख्या १७ दूसरा सत्र, १९६२

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२९२९/६४]

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २०, पहला सत्र, १९६२

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०– २९३०/६४]।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :–

(३) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उपधारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६२–६३

[डा० कु० ल० राव]

की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(४) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२९३१/६४]।

सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत अधिसूचनायें ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(५) सीमा शुल्क तथा केन्द्रय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य), नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —

(क) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९७

(ख) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९८

(ग) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९९

(घ) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७००

(ङ) दिनांक ९ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७१८

(च) दिनांक ९ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७१९

[पुस्तकालय में रखी गयी । । देखिये संख्या एल० टी०—२९३२/६४]

(६) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत सात अधिसूचनाओं की एक प्रति :—

(क) दिनांक २ मई, १९६४ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०५ में प्रकाशित सीमा शुल्क बांड में निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम, १९६४

(ख) दिनांक २८ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ७०६

(ग) दिनांक १ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७११

(घ) दिनांक ९ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७१६

(ङ) दिनांक ९ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७१७

(च) दिनांक १३ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ७५२

(छ) दिनांक २३ मई, १९६३ का जी० एस० आर० ७७६

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९३३/६४]

(७) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उपधारा ३ के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या ३/६४ द्वारा शोधित दिनांक १५ मार्च, १९६४ को अधिसूचना संख्या १/६४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९३४/६४]

कर्मचारी भविष्यनिधि (सातवां संशोधन) योजना, १९६४

श्रम और योजना रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६१ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९३५/६४]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : : मुझ सचिव, राज्य सभा, से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा अपनी ३ जून, १९६४ की बैठक में राज्य सभा द्वारा २९ अप्रैल, १९६४ को पारित किये गये भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक

GOLD (CONTROL) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों का उत्पादन, संभरण वितरण, प्रयोग और रखने तथा उन के व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक की दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिस में इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात् :—

(१) श्री कृष्णमूर्ति राव

(२) श्री द० ब० राजू

(३) श्रीमती रेणुका बड़कटकी

(५) श्री ब० रा० भगत

(५) श्री ल० ना० भंजदेव

(६) श्री चांडक

[श्री ब० र० भगत]

(७) श्री त्रिदेब कुमार चौधरी

(८) श्री यु० सिं० चौधरी

(९) श्री दाजी

(१०) श्री म० मो० हक़

(११) श्री प्रभात कार

(१२) श्री करुथिरमण

(१३) श्री किन्दर लाल

(१४) श्री हे० वी० कौंजलगी

(१५) श्रीमती लक्ष्मीबाई

(१६) श्री मणियंगाडन

(१७) श्री मी० रु० मसानी

(१८) श्री जसवन्त मेहता

(१९) श्री गु० सिं० मुसाफिर

(२०) श्री छोटू भाई पटेल

(२१) श्री तु० राम

(२२) श्री शिव राम रंगो राने

(२३) श्री स० चं० सामन्त

(२४) श्री सेझियान

(२५) श्री शिवनारायण

(२६) डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

(२७) श्री रामेश्वर टांटिया

(२८) श्री बाल गोबिन्द वर्मा

(२९) श्री भी० प्र० यादव ; और

(३०) श्री ति० त० कृष्णमाचारी

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि संयुक्त समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लाग होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।

गत २१ सितम्बर को जब वित्त मंत्री ने संसद् में स्वर्ण नियंत्रण पर अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि स्वर्ण नियंत्रण नियम जिन को कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक वर्ष पूर्व लागू कर दिया गया था, के स्थान पर संसद् द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कानून बना दिया जायेगा। यह विधेयक उस आश्वासन की दिशा की ओर एक कदम है।

स्वर्ण नियंत्रण नियम और वर्तमान विधेयक का कुछ इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी कि देश के सभी उपलब्ध साधन औद्योगिक विकास में लगाये जायें। इस उद्देश्य के लिए देश के आर्थिक प्रश्नों में स्वर्ण का प्रश्न भी बड़ी गम्भीरता से देश के समक्ष आ गया। कई वर्षों तक इस बात की आवश्यकता होगी कि बड़ी बड़ी मशीनें और उनसे सम्बन्धित आवश्यक कच्चा माल जो कि देश के औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित है विदेशों से आयात होता रहेगा। इस प्रकार के आयात से हमारे देश की विदेशी मुद्रा पर काफी प्रभाव डाला है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि हम उपभोक्ता वस्तुएं तथा अन्य चीजें बाहर से नहीं मंगा सकते। इन चीजों में सोना भी शामिल है। मतलब यह है कि पिछले वर्षों में सोने के आयात पर प्रायः रोक ही लगी रही है। यद्यपि इस देश में सोना काफी है इस पर भी सोने की मांग जारी है। इसके दो कारण हैं एक यह कि देश के कई वर्गों में परम्परा से सोने के गहने बनाने और उन्हें पहनने का रिवाज़ है, कुछ लोग अपना रुपया सोने में लगाना ठीक समझते हैं। क्योंकि देश में सोने की मांग जारी है अतः सोने की आन्तरिक कीमत बढ़ गयी है और इसका परिणाम यह हुआ है कि सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है।

सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने कई पग उठाये हैं। प्रशासन ने जो कुछ किया है वह तो किया ही है इसके अतिरिक्त तीन महत्वपूर्ण विधान भी बनाये गये हैं। भारतीय करंसी को मध्य पूर्व की करंसी से १९५९ में बदल दिया। १९६२ में नया सीमा शुल्क अधिनियम बनाया गया। इसके अतिरिक्त सितम्बर १९६२ और १९५१ में संसद् ने कुछ कानूनों में संशोधन करके उसे इस सम्बन्ध में चालू किया। इन विधानों का मतलब यही था कि सरकार की सहायता की जाय और सोने की खानों पर नियंत्रण कर लिया जाय।

परन्तु इन कानूनों द्वारा सोने की तस्करी रोकी नहीं जा सकी। यह सारे उपाय पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सके। इसका कारण यह है कि देश में सोने की अभी भी बहुत भारी मांग है इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की रोक भी नहीं है। राष्ट्रीय आपात की पृष्ठभूमि में हमें यह आवश्यकता महसूस हुई कि सोने के मामले में हमें कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिये इस स्थिति में स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किया गया। यह अनुभव किया गया कि जब तक सोने की आन्तरिक मांग को कम नहीं किया जाता तब तक सोने की तस्करी नहीं रोकी जा सकती। इस उद्देश्य के लिए सरकार को विशेष रूप से शक्तियां देना जरूरी समझा गया। वर्तमान विधेयक इसी विचार से आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बावजूद प्रस्तुत किया गया है।

संसद् को सोने के सम्बन्ध में हमारी नीति के बारे में सारी बातों का पता है। और माननीय वित्त मंत्री पिछली बार अपनी नीति के औचित्य को सिद्ध कर चुके हैं। उनके विचार में वह

[श्री ब० र० भगत]

नीति पूर्णतः राष्ट्र के हित में है। उनका विचार है कि सोने की मंडी को नियंत्रित किया जाये और लोगों में सोने और आभूषणों के रूप में धन जमा करने की आदत को कम किया जाय ताकि इससे होने वाली बचत को उत्पादन कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सके। सोने को १४ कैरट से अधिक के रूप में आभूषणों के लिए प्रयोग करने की मनाही कर दी गयी है। इसका उद्देश्य कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसमें किसी को भी मतभेद नहीं है कि इस समय सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि लोगों का सोने से मोह कम किया जाय और उन्हें देश की विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

सोने के काम पर जो लोग परम्परा गत कार्य कर रहे थे उनसे उनका रोजगार चलता था। बहुत से लोग तो सोने का बहुत अच्छा काम करने वाले कारीगर थे। अतः स्वर्ण नियंत्रण नियमों ने उनको बेरोजगार कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप देश में भारी आन्दोलन हो गया। कुछ यह भी कारण था कि तस्कर लोग भी परेशान हो उठे थे। सरकार यह चाहती थी कि देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तो लाये जायें परन्तु ऐसा करते हुए कठिनाइयों से बचा जाय। सब बातों पर विचार करते हुए यह अनुभव किया गया कि स्वर्ण नियंत्रण नियमों के कारण जो सुनार लोग बेकार हुए उन्हें अन्तरिम सहायता देने और अन्त में उनका पुनर्वास करना बड़ा ज़रूरी है। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है। १९६३ में इस बारे में सारी स्थिति का पुनरीक्षण किया गया। इस उद्देश्य के लिए जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था उन्होंने एक मत से जो प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया उसके परिणाम स्वरूप नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया वह यह था कि जो सुनार जेवरों की मरम्मत करते हैं अथवा पोलिश करते हैं वह शुद्ध सोने का प्रयोग कर सकेंगे। यह इसी उद्देश्य से आवश्यक समझा गया कि सुनारों को कुछ न कुछ सुविधा दी जानी चाहिये। परन्तु इसके बावजूद सरकार इस बात को भूली नहीं कि कुछ समय के भीतर इन सुनारों को फिर से रोजगार दिलाना बड़ा ज़रूरी है।

अब मैं संक्षेप से वर्तमान विधेयक के विभिन्न उपबन्धों तथा मुख्य अंशों की ओर आता हूं। विधेयक के अध्याय १ में व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत बैंकों को नहीं रखा गया है जिससे कि वे ऋण और अनुदान देने के लिये सोने की वस्तुओं को ले दे सकें। सोने की वस्तुओं को गिरवी रखने वालों तथा सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए उपबन्ध किये गये हैं। कितना सोना रखा जा सकता है इसकी कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु एक निर्धारित मात्रा के ऊपर एक घोषणा करनी होगी जो कि बाद में निश्चित की जायेगी। स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन के अनेक विनियमन सम्बन्धी कर्तव्य होंगे और वह स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिये भी उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त विधेयक में जो योजना दी गयी है वह यथार्थवादी है और उसे कार्यरूप में दिया जा सकता है। इससे सोने के गैर-धन सम्बन्धी प्रयोजनों के उपभोग में भारी कमी हो जायेगी।

मुझे इस बात का पता है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में जिसका प्रभाव काफी दूर व्यापी है, तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि संसद् के दोनों सदनों से पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त नहीं होता। निःसन्देह दोनों सदन इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का परीक्षण करेंगे। और उसके प्रभावों का भी सविस्तार अध्ययन करेंगे। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाय। मैं यह भी प्रस्तुत

करता हूं कि इस संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष अगले संसद् के सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय । प्रश्न काल में मुझ से सोने के बारे में घोषणा करने के सम्बन्ध में पूछा गया था तो मैंने कहा था कि मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार करते समय इसका उत्तर दूंगा । अब मेरे पास आंकड़े हैं । सभी रूपों से सोने की जो कुल मात्रा २८ फरवरी, १९६३ को घोषित की गई थी, वह ४२,९७० किलोग्राम है जिसका बाजार मूल्य ४२ करोड़ ९८ लाख रुपये है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों को उत्पादन, संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले बिल को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात् :—

(१) श्री कृष्णमूर्ति राव
(२) श्री द० ब० राजू
(३) श्रीमती रेणुका बड़कटकी
(४) श्री ब० रा० भगत
(५) श्री ल० ना० भंजदेव
(६) श्री चाण्डक
(७) श्री त्रिदिब कुमार चौध
(८) श्री यु० सिं० चौधरी
(९) श्री दाजी
(१०) श्री मु० मो० हक
(११) श्री प्रभात कार
(१२) श्री करुथिरमण
(१३) श्री किन्दर लाल
(१४) श्री हे० वी० कौजलगी
(१५) श्रीमती लक्ष्मीबाई
(१६) श्री मणियंगाडन
(१७) श्री मी० रु० मसानी
(१८) श्री जसवन्त मेहता
(१९) श्री गु० सिं० मुसाफिर
(२०) श्री छोटूभाई पटेल
(२१) श्री तु० राम

(२२) श्री शिव राम रंगो राने

(२३) श्री स० चं० सामन्त

(२४) श्री सेझियान

(२५) श्री शिवनारायण

(२६) डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

(२७) श्री रामेश्वर टांटिया

(२८) श्री बाल गोविन्द वर्मा

(२९) श्री भी० प्र० यादव; और

(३०) श्री ति० त० कृष्णमाचारी

और राज्य-सभा के १५ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि संयुक्त समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सिम्मलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर राय जानने के लिये उसे ३१ अगस्त, १९६४ तक परिचालित किया जाय।"

मैं समझता हूं कि अधिकतर सदस्य मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने अपने जयपुर में हुए सम्मेलन में मांग की थी कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश को वापिस लिया जाय।

इस विधेयक को, ३१ अगस्त तक उस पर जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का स्पष्ट उद्देश्य यह हैं कि समिति इस पर विभिन्न संस्थाओं, विशेष रूप से अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, की राय जान कर विचार करेगी।

मैं इस विधेयक का आरम्भ से ही इसलिये विरोध कर रहा हूं कि जिन तीन उद्देश्यों, अर्थात् सोने की तस्करी को रोकना, लोगों द्वारा छिपाये गये सोने को बाहर निकालना तथा सोने के मूल्य कम करना, को पूरा करने के लिए स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किये गये थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। सोने की तस्करी के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि गत वर्षों की तुलना में सोने की तस्करी में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है।

जहां तक मूल्य कम होने का सम्बन्ध है इस दिशा में भी कोईसफलता प्राप्त नहीं हुई है । सोने का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य ६० रुपये ५० नये पैसे प्रति तोला हैं जब कि भारत में सोना १३६ रुपये से १४२ रुपये प्रति तोला चोरबाजार में बिक रहा है । लोग पुराने आभूषणों को नया बनाने के बहाने से जितना सोना चाहें खरीद सकते हैं । उन पर किसी प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की गई है ।

जहां तक तीसरे उद्देश्य अर्थात् छिपाये गये सोने को बाहर निकालने का प्रश्न है इस दिशा में भी कोई सफलता नहीं मिली है । चीनी आक्रमण के समय राष्ट्रीय रक्षा कोष में जितना भी सोना दिया गया है वह सब गरीब जनता ने दिया है । पूंजीपतियों ने अपना छिपाया हुआ सोना नहीं निकाला ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेशों के परिणामस्वरूप अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति होने के स्थान पर भारत के लाखों स्वर्णकार बेरोजगार हो गये और लगभग २०० स्वर्णकारों ने दुःखी होकर आत्महत्यायें कर लीं । कानपुर में स्वर्णकारों द्वारा की गई आत्महत्या के तीन मामलों की जानकारी स्वयं मुझे है । स्वर्ण नियंत्रण आदेश का आशा के प्रतिकूल परिणाम रहा है इसलिए इसे वापिस लिया जाना चाहिए ।

स्वर्णकारों ने सरकार को प्रस्तुत किये गये संकल्प में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे आशा है उन पर विचार कर लिया गया होगा । वित्त मंत्री महोदय ने २१ सितम्बर, १९६३ को कहा था कि स्वर्णकारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वर्ण नियंत्रण आदेशों में संशोधन करने की आवश्यकता है । मंत्री महोदय ने कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया होगा । किन्तु इसके विभिन्न खंडों में प्रशासन को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनसे स्वर्णकारों को और भी अधिक परेशानियां उठानी पड़ेंगी । अतः स्वर्णकारों ने मांग की है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये ।

स्वर्णकारों ने यह भी मांग की है कि स्वर्णकला उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और कुटीर उद्योग के अन्य उत्पादों के साथ-साथ सोने की बनी वस्तुओं के विक्रय के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये । इससे स्वर्णकारों की बेकारी की समस्या हल हो जायेगी और यह देश और स्वर्णकारों, दोनों के, हित में होगा । सोना स्वर्णकारों तथा आम जनता को १०० रुपये तोले के भाव से बेचा जाना चाहिए इससे सब को सुविधा होगी और सोना चोर-बाजारी में १४० रुपये प्रति तोले के भाव से नहीं बेचा जा सकेगा ।

यदि सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाये तो वह मात्रा पर होना चाहिए न कि किस्म पर । १४ कैरट के बने आभूषण ४ या ५ महीने के पश्चात् बिल्कुल खराब हो जाते हैं । उनकी चमक जाती है । घरों में गृहणियों को रसोईघरों में काम करना पड़ता है । इससे वे और भी जल्दी खराब हो जाते हैं । १४ कैरट के सोने के आभूषण बनाने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि इसके सामान्य आभूषण आसानी से नहीं ढाले जा सकते हैं ।

जहां तक सोने की मात्रा का प्रश्न है, सरकार निर्धारित सीमा से अधिक सोना रखने पर रोक लगा सकती है । यदि स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य इस कार्य में सहयोग दें तो सरकार को काफी सोना मिल सकता है ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं । इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

यह विधेयक लोगों की राय जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उन स्वर्णकारों को, जिन्होंने अपने जीवन की बलियां दी हैं और आत्म-हत्यायें कर ली हैं, श्रद्धांजलि देता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके परिवारों को पर्याप्त प्रतिकर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे 31 अगस्त, 1964 तक परिचालित किया जाये।"

ये दोनों प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): There was widespread opposition of the Gold Control Order when it was promulgated. The purpose of the said Order, according to the Government, was to check smuggling of Gold as also to keep check on its prices. But we have not to judge it by mere professions. We have to see the results obtained.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

As a consequence of the Gold Control Order, black market in gold have increased all the more and people's love of gold has also increased. Shop-keepers are now selling gold through back door, like wine.

The proposed Bill is also a strange one and its clauses are hardly intelligible.

People have been subjected to untold sufferings. About two lakh gold-smiths have been rendered unemployed. This is nothing less than social crime.

Goldsmiths will have to get licences according to the provision in the proposed Bill. The Government is giving unrestrained powers to the administration. We know what difficulties the poor goldsmiths have to face while getting licences. We cannot forget our past experience in this matter.

Why people preferred gold or gold ornaments. In times of need or adverse circumstances these things may be of great use. The hon'ble Minister state that the money spent on the purchase of gold should be invested for productive purpose. I fully concur with this view. But gold could prove itself an invaluable asset in times of need. There are instances when everything else lost, gold rendered a great help. The present Bill seeks to prohibit the mortgage of ornaments, its sale, Similarly the approval of administrator is essential even in case of acceptance of such ornaments. The present law is trying to impose restrictions of extreme type. This is trying to convert the whole country into a prison.

Another objective for bringing the present Bill is to check smuggling. But smuggling cannot be stopped by enacting legislation. The Government has proved unable to en any malpractice. Even illegal trade in Gur could not be brought to an end. Ordinary men and women carrying gur were apprehended by police while persons taking gur in a large scale in trucks were allowed to go scot-free. For such a Government to say that smuggling in gold will be stopped is nothing but a hallucination.

It is also equally wrong that the purity of gold should be reduced. Gold should continue in its old shape, *viz.*, 22 carret gold. It is another thing if restriction is imposed on the limit of quantity of gold that an individual might possess. It would not be proper to compare the new trend with what is existing in Europe. In European countries even gold is in use in 10 carret form. The reason is obvious, these ornaments are manufactured with the help of machines. Our goldsmiths, who are highclass artisans can work on gold only when it is pure. Public opinion should be elicited on the present measure.

Thus Morarji Desai has been criticised by a large number of countrymen for this gold control rules. Yet another reason of his unpopularity was the Compulsory Savings Scheme. The gold control rules have not resulted in benefit to any class of people in the country.

डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती) : मैं वर्तमान विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस संयुक्त समिति के सदस्य इस विधेयक का विरोध करेंगे और इस प्रकार इस पर जनमत जानने का अवसर उत्पन्न नहीं होगा।

स्वर्ण नियंत्रण का उद्देश्य सुन्दर है किन्तु वह व्यावहारिक नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। जितना सोना घोषित किया है वह कुल सोने का केवल एक प्रतिशत है। बताया गया है कि देश में कुल ४,००० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना है किन्तु आज हमारे पास केवल ४२.९८ करोड़ रु० का ही सोना है। १५ महीने के बाद भी आज स्वर्ण नियंत्रण का कोई सारभूत परिणाम नहीं निकला है। आज सोना उसी भाव में प्रत्युत उससे भी अधिक महंगा बिक रहा है जितना पहले था। जनता के अज्ञान और असामान्य प्रतिक्रिया से स्वर्ण नियंत्रण इस देश में सफल नहीं हो सकेगा। सोना भारत में सदियों से आकर्षण का परम्परागत केन्द्र रहा है। यह पूंजी विनियोजन का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुआ है। कुछ महिलाओं ने इस नियंत्रण का समर्थन किया है किन्तु यह अयथार्थ है; यह केवल बातें हैं। स्वर्णकारों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं में अतिशयोक्ति हो सकती है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इससे लोगों में घोर बेरोजगारी और असन्तोष फैला है। यह भी कहा गया था कि स्वर्ण नियंत्रण से हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी किन्तु स्थिति से यह बात सिद्ध नहीं होती है।

स्वर्ण नियंत्रण से न इस धातु की मांग में कमी हुई है और न हम उसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में सफल हुए हैं। अतः इस सम्बन्ध में जो अनेक दलीलें प्रस्तुत की गई हैं——भले ही वे विरोधी पक्ष की ओर से दी गई हैं——उन पर यथोचित विचार किया जाना चाहिये।

चौदह कैरेट सोने की बात करना और उसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना श्लाघनीय है किन्तु हमारी सभ्यता, सामाजिक रीति-रिवाज, परम्पराएं और विचारधारा इसके विरुद्ध हैं। भारत में इस प्रकार के घटिया गहने कोई भी धारण करने के लिये सहमत नहीं होगा। हमारे देश में सोने का अर्थ है विशुद्ध सोना। यूरोप के नारी वर्ग की भारतीय ललनाओं से तुलना करना युक्तिसंगत नहीं है। दोनों में मूलभूत अन्तर है। अतः हम यदि इस प्रकार की विधि व्यवस्था न लाकर लोगों को खीज उत्पन्न करने का अवसर न दें तो उत्तम होगा। फिर, हम देखते हैं कि नियंत्रण और विनियमन से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वर्ण नियंत्रण नियम भी लोगों को भ्रष्टाचार की दिशा में प्रवृत्त करेंगे।

श्री सोलंकी (कैरा) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश भी मदिरा निषेध की भांति असफल सिद्ध हुआ है। स्वर्ण नियंत्रण से कुछ लाभ नहीं हुआ है। सरकार को आशा थी कि उससे अनेक प्रमुख और दूरगामी सफलतायें मिलेंगी। किन्तु शेर मारने के प्रयत्न में खरगोश की हत्या जैसा ही प्रयत्न

[श्री सोलंकी]

हुआ है। सोने की चोरी अब भी जारी है। न तो लोगों में सोना एकत्र करने की प्रवृत्ति कम हुई है और न बचत की आदत का ही विकास हुआ है। कई लाख स्वर्णकार इसके फलस्वरूप बेकार हो गये हैं। सरकार उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं दे सकी है। आज यह कोई रहस्य नहीं है कि ब्रिटिश फर्म मुद्रा को २० रु० या २१ रु० में बेचती है जबकि उसका अधिकृत मूल्य १३ रु० ८ न० पैसे है। चोरी से सामान लाने और ले जाने वालों को सौ प्रतिशत का लाभ होता है। उस गड़बड़ में हवाई स्टेशनों और बन्दरगाहों पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं। सोने के मामले में भी यही बात है। इस व्यवसाय में लगे हुए सब आदमी भ्रष्ट हैं। सरकार १९५८ में १.७५ करोड़ रुपये तस्कर व्यापारियों से वसूल कर सकी है जब कि यह रकम ४० करोड़ रु० प्रति वर्ष होती है। इसके अतिरिक्त तस्कर बीमा भी विद्यमान है। यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो बीमा कम्पनी से उसे रकम मिल जाती है। पकड़े जाने पर उसे चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी मदद कर दी जाती है और यह कार्य अनवरत रूप में निर्बाध गति से चलता रहता है। जब तक सरकार इसकी दरों में संतुलन और सामंजस्य नहीं करती है यह धन्धा जारी रहेगा। कौन अपने पास का सोना ६५ रुपये की दर पर बेचने के लिये तैयार है? उसे १३९ रु० सरलतापूर्वक मिल सकते हैं। हमारा देश विशाल है किन्तु हमारी बचत प्रति वर्ष लगभग १२० रुपये है। यदि सरकार मुद्रा स्फीति नहीं करती है तो रुपये के मूल्य में स्थायीकरण नहीं होगा और जनता को मुद्रा में विश्वास नहीं रहेगा। यही कारण है कि वे सोना तथा अन्य माध्यमों में बचत करना श्रेयस्कर समझते हैं। मुद्रा स्फीति हमारे सामर्थ्य से बाहर चली गई है। उसमें विषय अन्तर है; ईंट चोड़ी खाई को पाटने की आवश्यकता है। यदि हम तस्कर व्यापार को रोकने में सफल हो जाते हैं तो सोने की समस्या अपने आप हल हो जाती है। इसके लिये स्वर्णकारों का व्यापार ठप्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को चाहिये कि वह सोने का तस्कर व्यापार रोके और रुपये का मूल्य स्थिर करने का प्रयत्न करे जिस से यह न हो कि सोने का मूल्य तो बढ़ता जाये और रुपये का मूल्य घटता जाये। यही कारण है कि लोग चलमुद्रा के मूल्य की स्थिरता में विश्वास न रख कर सोना खरीदना चाहते हैं। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने जो संकल्प पारित किया है उसमें उन्होंने हिसाब किताब का साधारण तरीका अपनाने और कुछ अन्य साधारण मांगें पेश की हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर—मध्य-दक्षिण): मैं इस का समर्थन नहीं करता कि स्वर्ण नियंत्रण योजना को स्थायी तौर पर अपनाया जाये। इसे आपात काल तक या उससे छः मास बाद तक जारी रखना चाहिये और बाद में क्रमबद्ध रूप से इसे वापस ले लेना चाहिये परन्तु सरकार को देश में स्वर्ण सम्बन्धी नीति स्पष्ट रूप से घोषित कर देनी चाहिये। हमें सोने के आयात व निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाने और भारत में सोने के मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये। इन दो उपायों से भारत में सोने के तस्कर व्यापार की समस्या का बिल्कुल अन्त हो जायेगा।

यह कहा जाता है कि तस्कर व्यापार को रोकने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। मेरे विचार से इस विधेयक के बिना भी तस्कर व्यापार को रोका जा सकता है परन्तु इसके लिये कड़ी निगरानी और कानून का कठोरता से पालन करना पड़ेगा। हमारे उत्पादन शुल्क विभाग ने इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। १९६२ में उन्होंने १०.९३ करोड़ रुपये; १९६१ में २३.३५ करोड़ रुपये और १९६२ में २६.३८ करोड़ रुपये का सोना पकड़ा।

†मूल अंग्रेजी में

यह कहा जाता है कि हमारे देश के लोग अनुचित संग्रह करने में अधिक रुचि रखते हैं परन्तु इसके कारण ये हैं कि अधिकतर लोग निरक्षर हैं जो बैंकों में खाते नहीं रख सकते और फिर बैंक सुविधाओं की भी कमी है। इस महान देश के लिये ६०,००० बैंकों की आवश्यकता है। इन कठिनाइयों में लोग अपने पास सोना रखना ही ठीक समझते हैं। १९६२ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा दिये गये एक टिप्पण से पता चलता है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देश भी सोने का अनुचित संग्रह करते हैं।

भारत में सोने का तस्कर व्यापार करने का सब से बड़ा प्रलोभन यह है कि यहां इसमें अधिक लाभ है। अन्य देशों में सोने का मुल्य लगभग ३५ डालर प्रति आउंस है जब कि बम्बई में इसका मूल्य ७० डालर प्रति आउंस है। यह बहुत बड़ा प्रलोभन है।

हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत है अपने आयात का भुगतान करने के लिये और व्यापार के वर्तमान संचलन को ठीक करने के लिये। परन्तु इसका एकमात्र उपाय मुद्रा का अबाध विनिमय ही है जिसे कई देशों ने अपनाया हैं। अर्थव्यवस्था और मुद्रा सम्बन्धी मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता जा रहा है। आज से १० वर्ष पहले किस ने सोचा होगा कि एड इंडिया कन्सोर्टियम और इसी प्रकार की अन्य संस्थायें स्थापित हो जायेंगी। इन सब बातों को देखते हुए हमें अपनी नीति के मुख्य उद्देश्य अपने सामने रखने चाहियें और सदा उनके लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये चाहे हमें १० या २० वर्ष लग जायें।

Shri Rameshwaranand (Karnal): We are told that this legislation has been brought forward for the purpose of checking smuggling but I fail to understand the necessity of continuity of the Gold Control Rules when the said purpose has now been achieved thereby. It is not unpracticable to check the smuggling of gold and in case our Government find it so, let it hand over the charge to us and we would check it. It is not the layman or an ordinary villager who indulges in smuggling activities. It is only the rich who do, particularly those belonging to Congress Party. In case the hon. Minister desires I can count the names of those on my fingers who are smuggling gold.

Only 10-15 days back a businessman of Panipat was killed by his companion after he had sold gold worth Rs. 10,000 and made away with the money and the police did not even register a case because the Police had to show the source from which this huge amount came. The smuggling is being carried out with the connivance of Police. It would be a most appropriate to award punishments to those Police Officers who are held responsible for negligence or are party to such activities. If the Government continue to ignore this important aspect of our economy and the major problem of our country then the masses will have to throw this Government out of power. Public opinion has gone against the Government.

Government will have to consider the problem of goldsmiths most seriously. They are starving to death and the former Minister of Finance opined that if thousands of Indians could die fighting against chinese, there was no harm if some goldsmiths also die. Does a man of this sort deserve to remain ? Minister The Minister should realise the sufferings of their people and sympathise with them. Our rulers assured the common folk that they would enforce 'Ram Raj' in the country but they could not enforce anything but 'Kamraj' The masses are groaning with pain and sufferings under this rule and they are losing confidence in Congress. The unemployed goldsmiths are taking shelter under the canopy of communists. Financial assistance has been given

[Shri Rameshwranand]

to goldsmiths as a loan of Rs. 300 per head, but what can be done with such patty sum. 3,000 goldsmiths out of 35,000 have been given financial aid in Gujrat but what about the rest of them ?

Only those have given this aid who were connected with Congress in one way or the other. Such measures are not going to help the country in any way.

The corruption and black marketing is rampant under the very nose of the Government. I sent a man to purchase a kilo of sugar but he could not succeed in his efforts and I contected the Minister of Food & Agriculture to apprise him of the situation but in return he simply delivered a sermon telling me that I should not consume sugar at all.

The only point I am trying to make out is that mere legislation and controls cannot bring good administration in the country. Licences have been made compulsory for goldsmiths as if licence holders cannot do any wrong. The Government are asking the people to declare the quantity of gold in their possession but I would like to know whether the President, the Vice-President, the Speaker and Deputy Speaker or any Minister has declared the quantity of gold in his household ?

It would be difficult for the public to declare the gold possessions for the fear of their being cleared away by the thieves.

If Government wants to purchase gold there is only one way of doing so. It should increase the price and the businessmen would take out their hidden gold.

It is wrong to claim that gold control has been successful because the prices have not gone up. In fact, it is on account of the smuggled gold that the prices have not gone up.

In the end I would submit that the Minister should not insist on the Bill being passed because even the congressmen have opposed it.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Mr Deputy Speaker, Sir, none of the members, who have so far spoken, has supported the Bill. One of the members has expressed the hope that if the Bill is referred to a Select Committee it would be scrapped there and the House would not be required to consider it.

The Gold Control Order has created much discontent in the public. The present Minister of Finance has amended the Order. But it is not proper to make it a permanent feature.

We are expecting that the Minister would tell as to how far the country has benefitted by the GoldControl order. The quantity of gold so far declared is very negligible. The Minister should tell the number of goldsmiths rendered unemployed and of those who have lost their lives as a result of this Order.

The penal clauses contained in the Bill provide that persons acting against the Order would be punished but sanction of the Administrator would be necessary to launch prosecution.

Another drawback of the Bill is that no limit has been laid down regarding the value of the ornaments required to be declared. It would give rise to corruption. The inspectors would take undue advantage of their powers and extract money from publicmen.

Clause 15 is also defective because therein the religious places have been given the liberty to keep any quantity of gold. This would help the smugglers in hiding the smuggled gold in such places.

I would therefore, submit that this Bill should not be passed. Most of the Members are against it. I would also request the chief whip of the Party that Members should be given a free vote.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : उपाध्यक्ष महोदय, सोने के प्रति मनुष्य का लगाव बहुत पुराना और विश्वव्यापी है। यदि जनसाधारण सुरक्षा अथवा आभूषणों के लिये कुछ सोना जमा करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें कोई बराई नहीं है। परन्तु औचित्य की सीमा पार हो जाने पर यह एक कठिनाई बन जाती है। भारत में सोने का तस्कर व्यापार इतना बढ़ गया है कि हमारी विदेशी मुद्रा निधि में भारी कमी हो गई है। दूसरी बात यह है कि इसके कारण मूल्यों को स्थिर बनाने के प्रयत्न बेकार हो गये हैं। केवल इसी दृष्टि से सोने की जमा करने की मात्रा पर नियंत्रण उचित कहा जा सकता है अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को यह समस्या सामाजिक स्तर पर हल करनी चाहिये। जनसाधारण को यह समझाया जाना चाहिये कि बैंकों में धन जमा करायें। मेरे विचार से स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी करने के बजाय इस प्रकार का प्रयत्न अधिक सफल रहेगा। सरकार के इस मनमाने आदेश से लोगों को बहुत धक्का पहुंचा है और उनकी जीवन भर की बचत का मूल्य आधा रह गया है। वित्त मंत्री को यह बताना चाहिये कि इससे सरकार को लाभ हुआ अथवा हानि।

फिर देश के लाखों सुनारों का प्रश्न है जो इस आदेश के परिणामस्वरूप बरोजगार हो गये हैं। उनमें से अनेक ने तो इस गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये आत्महत्या तक कर ली। सरकार ने ऋण के रूप में जो सहायता दी वह अत्यन्त नगण्य है। इस प्रकार का क्रान्तिकारी कदम उठाते समय सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि कोई बेरोजगार न होने पाये।

जहां तक सोने की मात्रा की घोषणा का सम्बन्ध है केवल ४२ करोड़ रुपये का सोना घोषित किया गया है जो कि औसत अनुमान का केवल १ प्रतिशत है। कारण स्पष्ट है कि सरकारी भाव ६२ रुपये है जबकि चोर बाजार में ११८ रुपये तक का भाव है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि चोर बाजार के भाव अखबारों में भी धड़ल्ले से प्रकाशित किये जाते हैं। यदि सरकार सोने पर नियत्रण करना चाहती है तो उसे सोने के चोर बाजार के भावों का अखबारों में प्रकाशन रोकना चाहिये।

अंत में मैं धार्मिक संस्थाओं के सोने के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। यह सर्व विदित है कि इनके पास बहुत मात्रा में सोना है जो लोगों को ब्याज पर भी दिया जाता है। यदि सरकार उन्हें इसके लिये बाध्य कर सके कि वे सरकारी दर पर उस सोने को सरकार के पास जमा कर दें तो सोने की चोर बाजारी बहुत कम हो सकती है। मैं विधेयक के प्रयोजन से तो पूर्णतः सहमत हूं परन्तु जिस रूप में उसे पेश किया गया है उससे सोने की चोरबाजारी बन्द नहीं हो सकेगी। धार्मिक संस्थाओं में बड़ी मात्रा में सोना जमा है और वे बहुत अधिक ब्याज पर ऋण देती है। वे सूद खोरों की तरह ही लोगों की भूमि का अर्जन कर लेती है। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिये कि जिस से यह सारा सोना सरकारी खजाने में ६२ रुपये तोला के हिसाब से जमा हो जाये। तब काला बाजार करने वालों को भी सोने का आकर्षण नहीं रहेगा। मैं स्वर्ण नियंत्रण का तो समर्थन करता हूं किन्तु इस विधेयक से न तो सोने का तस्कर व्यापार खत्म होगा और न ही सोने का व्यापार बंद होगा।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और कश्मीर) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश के दो उद्देश्य थे एक तो सोने के तस्कर व्यापार को रोकना और दूसरे सोने का मूल्य कम करना। किन्तु १½ वर्ष से आदेश लागू होने पर भी तस्कर व्यापार निरन्तर चल रहा है और सोने का मूल्य भी कम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में स्वर्ण नियंत्रण आदेश को स्थायी बनाने से पहले हमें भली प्रकार विचार कर लेना चाहिये।

बेरोजगारी की स्थिति यह है कि केवल स्वर्णकार ही बेकार नहीं हुए बल्कि मेरे राज्य में तो अन्य शिल्पकार भी बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि सोना न मिलने के कारण वे काम नहीं कर सकते। इस बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं भी हुई हैं। चाहे वे थोड़ी हों या अधिक किन्तु ऐसी घटनायें अवश्य हुई हैं। राजस्थान में भी अनेक शिल्पकार बेकार हो गये हैं।

१४ केरेट के सोने के सम्बन्ध में मेरा अपना अनुभव है कि महिलायें इसे पसंद नहीं करतीं। पिछले १½ वर्ष में जितने भी विवाह हुए हैं प्रायः उन सब में १४ से अधिक कैरेट सोने के जेवर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में इस विधान पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा इस विधान का कोई लाभ नहीं होगा। सामाजिक रीति रिवाज ऐसे हैं कि लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे।

इसके अलावा अधिक नियंत्रण और अधिक नियमों के निर्माण से भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। मुझे स्वर्णकारों के प्रतिनिधि मिले हैं। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें इस मामले पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

नियमों और उपबन्धों के होते हुए भी १४ से अधिक कैरेट के सोने का व्यापार हो रहा है। मुझे आशा है कि संयुक्त प्रवर समिति इस विधान पर यथार्थवादी दृष्टि से विचार करेगी और विधेयक में संशोधन कर के उसे सभा में लायगी।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): We hoped that the Government while bringing this bill, would gvie this information to the House as to how far the smuggling of gold has been checked?

Under the Gold Control Order Government has been deprived of sales Tax and Income Tax. The house should be intimated the extent of loss on this account incurred by the States and the Central Government.

It is said there this is gold worth 4000 crores of rupees in India but the data received by the Government accounts for gold worth 42 crores of rupees. So it is evident that the gold is in possession of those persons who have got black money.

If the Government does not snatch away the gold deposits of religious institutions nor takes it away from the millionaires, this legislation would work against the common man who would not be able to buy jewellery at the time of marraiges and would face difficulty in raising loans.

I agree with Shri Solanki when he says that the smuggling of gold has not decreased. Shri Morarji Desai contended that it has decreased, whereas Shri Krishnamachari is of the opinion that he does not know about smuggling. In that case how does he estimate it to the tune of not to 50 crores of rupees.

In regard to gold even the dealer wishes that it should be nationalised because the law which is being framed gives a long rope to dishonest persons only.

The Government should have made a thorough investigation to know whether there is gold worth of 4 crores of rupees in the country or not, and how that gold can be recovered. They should have fixed ceiling in the terms of jewellery and also in termes of other type gold. But this introduction of 14 ct. gold is not appreciable. None of the members has supported it. But still the Government is relentlessly arguing in favour of it. On the one hand they argue in favour of purity and against adulteration and on the other hand they are introducing adulteration in gold. Select Committee may go into the matter rigorously. I do favour the ceiling of gold holding. If you force a measure in this field that would be of no use. So you should allow the people to have jewellery for the marriages and for other such purposes. Instead of that you are allowing free rope to the millionaires to change their gold into jewellery which they would never declare. They would deposit those with their relatives who do not pay income tax and thus they would manage to evade the law.

I request that the bill should be withdrawn and after investigating the matter as to where the gold is concentrated, such measure should be brought. The Government should not work under the influence of beaurocracy. Rather they should realise the public opinion. Then four points require to be investigated by them, such as who is in possession of gold, why Government does not nationalise this business. When a legislation gives impetus to smuggling, how can that be a just measure? It is going to lead us to a fall. There are certain reasons for which people have temptation for gold. Firstly our banking system is not yet fully developed. The system of the Government loans are beyond. the comprehension of the common man go under the present circumstances. Government should impose only a ceiling on the possession of gold. This law would not be useful. If Government is not prepared to withdraw it I request the Select Committee to recommend for its withdrawal.

श्री कृ० चं० शर्मा : मैं ने माननीय सदस्यों के भाषण को भली प्रकार सुना है। हमारा देश संसार का दरिद्रतम देश है। यहां यह कैसे संभव हो सकता है कि आपकी बेटी आभूषणों से भी लद जाय और साथ ही वह मानव सुलभ जीवन यापन भी कर सके। दोनों में से एक बात चुननी होगी।

गत महायुद्ध में इंगलैंड और फ्रांस ने कोषका हर रत्ती सोना युद्ध में खर्च कर दिया था। आज हमें चीन का खतरा है और आज का युद्ध सामग्री पर निर्भर करता है जिसके लिए विदेश से लोहा और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह सब सोने से ही प्राप्त हो सकता है।

गत कुछ वर्षों से संसार के समक्ष दो बातें हैं। एक तो यह कि नेहरू के बाद यह देश खण्ड खण्ड हो जायगा और बाहर की शक्तियां यहां पदार्पण करेंगी और दूसरे इस देश में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूंजी नहीं है जिससे यह किसी पूंजीपति देश के अधीन देश का सा बन जायगा। ऐसी स्थिति में कठिन जीवन को अपना कर देश का भविष्य निर्माण करना है। अतः यह तो ध्यान रखना चाहिये कि लोगों को अकारण आतंकित न किया जाए किन्तु हमें समस्या को सुलझाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : There was a time when gold was used for ornaments only, but now it has become a source by which the humble and the poor save according to their means and situation in life. Why these people prefer keeping gold rather than collect their savings in banks? It is

because their faith was for the first time shaken when 100 rupee currency notes were withdrawn, and the second time, failure of the Palai Bank was a severe blow to them. It has also to be kept in mind that the people of this country cherish love of gold from times immemorial.

The Gold Control Order was promulgated mainly to put an end to smuggling but the Government have failed to attain this end. Let us see how and where this smuggling is carried on. Smuggling is mainly confined to the border areas and th persons involved in it are generally big people, ministers and other high police officials. The Government should have attempted to tackle such people rather than bringing forward such a Bill and persecuting lakhs of goldsmiths.

The one factor responsible for smuggling is over-estimate and under-estimate so far as foreign trade is concerned. If the Government restricts peoples capacity to import gold they will be compelled to bring other valuable articles, like watches, transmitters, etc., which have little ultimate value as compared to gold. Therefore, the Government should take into consideration this factor also.

I have my own views as to why the Government felt inclined to come forward with this Bill. When Chinese committed aggression on India, our leaders appealed for donation of blood which people did heartily. Then they appealed for gold and people again responded enthusiastically. The Government perhaps thought that people have sufficient quantities of gold which could be obtained from them and utilised to their own ends. So the Gold control Order was promulgated. This attempt on the part of the Government immediately damped the enthusiasm of the people and they hid whatever quantities of gold they have. That gold has gone underground due to the wrong and unthought out policies of the Government in this regard.

By the Gold Control Order restriction was imposed on the manufacture of Jewellery of more then 14 carrots' purity. But the Jewellery of more than 14 carrots' purity is even to day being sold in the market surreptitiously. So the Government itself have provided means of corruption and theft. As a result of Government's wrong policy scope for corruption has increased for the excise inspectors.

Then, the Government are now trying to import corruption even in places of religious worship by keeping the temples, Gurudwaras and Mosques out of the preview of the said order.

Nothing has been laid down clearly regarding the declaration of jewellery in possession of a particular person. It will further open the doors to curruption and black mail. Perhaps the aim of these who have drafted this measure is to further weaken the economic condition of the country. Communism is the net result of the weakening economic condition and the aim of the initialors of the proposed measure is to bring here communism. It is better if, keeping in view the enumerated facts as also the opinion of the masses, this Bill is withdrawn.

{ श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair* }

Shrimati Savitri Nigam (Banda) : I am surprised to hear some of the views expressed here. I think the women have more attachment with gold and

only they who contributed their ornaments at the time of national emergency. There is no doubt about the fact that the misuse of gold was greatest in this country. It has been pointed out that the proposed measure will disturb our age-old customs and conventions. I would like to ask these people whether the customs and conventions are more dear to us than our security and economic well being? The object of the proposed measure is to use gold for the welfare of the country and for making progress in the establishment of a socialistic pattern of society. I would appeal to the hon. Members of the Select Committee to see that the inspiration which prompted the promulgation of the Gold Control Order remains while giving shape to this Bill.

I know that the goldsmiths have been greatly inconvenienced by the promulgation of the Gold Control Order, but I also feel that the ornaments in our country have been put to a wrong use and we must check that misuse in order to establish a socialistic pattern of society.

An hon. Member, while pointing out that gold is the only means of effecting savings for the poor people, over looked the fact that those very poor people are being exploited by the ornament dealers and goldsmiths. None of the progressive nations permit the use of gold and ornaments as we do. I earnestly appeal to the hon. Members to help dissuade the people from attaching too much importance to gold.

In our country from first to the last day of the life of a person, gold has been an inseparable part although it has no relation to sanctity or religion as such. If we want to make a headway this tendency must be checked. Now iron should take the place of gold, since it is the machine which can help in progress.

We should some how try to take out the gold which has gone underground. Only that way we shall be able to establish a new society. It is only then that the people will have new values. Thereby they will also be saved from exploitation.

I have to point out again that the same objects should inspire this measure which inspired the Gold Control Order.

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि): हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, इसका यह मतलब कदापि नहीं कि हम नहीं चाहते कि देश की प्रतिरक्षा के लिए धन साधनों का संगठन नहीं चाहते। सोना आपको प्रतिरक्षा के उद्देश्यों के लिए किस सीमा तक प्राप्त हो सकता है, इस सम्बन्ध में भी मुझे सन्देह है। सोने का मूल्य कम करने और इसके तस्कर व्यापार को कम करने अथवा रोकने के जिन उद्देश्यों को लेकर स्वर्ण नियन्त्रण आदेश जारी किया गया था उसको पूरा करने में सरकार नितान्त असफल रही है। इन हालतों में कोई भी व्यक्ति इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। यदि सरकार इस दिशा में कुछ सफलता प्राप्त कर लेती तो बात दूसरी थी। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार के ७ अथवा ८ करोड़ का सोना ही प्राप्त किया जा सका जब कि देश में ४००० करोड़ का सोना था। आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब इस विधेयक के द्वारा आप अधिकारियों को यह अधिकार दे रहे हैं कि सेफ वाल्टों की तलाशी लेकर सोना कब्जे में किया जा सके। परन्तु आदेश लागू करने से पहिले भी आप यह कह सकते थे परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। आज संसार को यह दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि हम स्वर्ण के प्रयोग को नियन्त्रित करके उसे देश के लिए बचा रहे है, यह सब बहाने है। आप असफल रहे है अतः हम, इस विधेयक का विरोध करते हैं।

विधेयक के खंड १७ के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति के पास एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में जेवरात हो तो उन्हें लिया जा सकता है। यह एक नया उपबन्ध है जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस उपबन्ध को निकाल दिया जाना चाहिए। इस बात से भी हम इन्कार नहीं कर सकते कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के कारण से स्वर्णकारों में व्यापक बेरोजगारी फैली है जिससे कि उन्हें कष्ट हुआ है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। केवल स्वर्ण उद्योग पर ही नहीं प्रत्युत अन्य सम्बन्धित उपक्रमों पर भी जैसे कि दक्षिण में हीरा तराशने का उद्योग है, इसका प्रभाव हुआ है। लोगों को भारी हानि उठानी पड़ी है। अधिकांश कर्मकार बरोजगार हो गये हैं सरकार को उनके बारे में कुछ करना चाहिए। हीरा तराशने के काम में मद्रास में ३०,००० से लेकर ४०,००० तक लोग रोजगार पर लगे थे जो कि अब बैरोजगार हैं और भूखों मर रहे हैं।

सब के हितों का ध्यान रख कर ही इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। इस समय देश के बहुत लोग इस विधेयक के विरुद्ध है अतः इस विधयक को वापिस लिया जाना चाहिए।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I fail to understand the necessity of the proposed measure when not a single gold smuggler has been given exemplary punishment so far, and when a number of gold-smiths have become victims of hunger. Some of them have even committed suicide.

The hon. Finance Minister has referred to the state of Emergency. But what does this emergency mean when there is no military training, when there is practically no spirit of Emergency. Not a single Chinese has been made a prisoner. Not an inch of our territory has been taken back from the aggressors. That means the state of Emergency is there to mulct people. We would have appreciated the Government's efforts had it provided the unemployed goldsmiths in the employment and also had it given exemplary punishment to the smugglers. Otherwise this Bill has been brought to harass people. There are 20 crore women in this country who possess a little or more quantity of ornaments. Will the Govermnent send women police squads to every nook and corner of the country to check the same? Furthermore, till this time, there have been no interference so far as places of workship are concerned, but by this measure the Government is attempting to import corruption there also. Another thing which I have failed to comprehend is that the goldsmiths will not be allowed to work with the moneylenders who mortgage the golden ornaments. I do not know how this can be effectively implemented, by what means both of them will be kept apart. This seems to be a funny proivison in the Bill.

It is useless to enact such laws in the name of emergency, when the very sense of emergency is lacking in the administration. This fact becomes evident when we see the working of transport undertaking in Delhi where hundreds of people are found standing in the queues waiting for the buses. Nowhere else people are treated so badly as in our country.

Another argument being given in favour of the proposed measure is that there is gold worth rupees 4,000 crores in the country which is hidden underground. I also grant that gold should somehow be brought out and utilised for the defence of the country, but our Government is not defending the country even.

I think about 98 per cent. of the Members are opposed to this measure. Therefore it should be referred for eliciting opinion of the masses thereon. The public opinion should never be ignored. Inspite of the sufferings being caused, the masses are still prepared to offer any number of sacrifices. But their genuine feelings ought to be respected. They are very much opposed to the proposed measure.

A very objectionable provision has been added in the Bill. Administrators are being given wide powers. No appeal will be allowed against an administrators verdict. These are the ways of dictators which will not be tolerated by the people for long. This Bill is an attempt to curtail the liberty of the people and to deprive them of their rights. Even during the British regime inspectors and poilce officers were not allowed to search the premises of the villagers.

Goldsmiths will have to obtain licences according to this Bill. For getting a licence a person will be subjected to a number of hardships. The licening procedure is lengthy. People will have to lick the shoes of inspectors, policemen and administrators. Today people have to stand in queues for getting water, milk and other necessities of life. Henceforth they will have to stand in queues for getting licences.

Therefore, I have to request that in order to justify emergency people should be given military training. Lethargy and sloth should be given an end to. The proposed measure should be withdrawn and the people affcted by the Gold Control Order should be given relief.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): प्रस्तुत विधेयक को तैयार करते समय सोच विचार कर काम नहीं लिया गया है। यह स्वर्ण नियंत्रण आदेश की प्रतिलिपि मात्र है। यह विधेयक जनता को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करता है। विधेयक के उपबन्ध नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित, संविधान के अनुच्छेद १४ और १९ के प्रतिकूल हैं। ये उपबन्ध किसी भी न्यायालय में जांच किये जाने पर न्यायोचित प्रमाणित नहीं हो सकते हैं।

इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति निश्चित मात्रा से अधिक सोना नहीं रख सकेगा। लोग अपनी कई पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवसाय को नहीं अपना सकेंगे। लोगों के मकानों की तलाशी ली जायेगी। ये सब बातें संविधान के प्रतिकूल हैं।

सरकार एक ओर तो खाद्य अपमिश्रण रोक विधेयक पारित करके भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है और दूसरी ओर सोने में अपमिश्रण को न्यायोचित बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इससे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार और बेईमानी फैलेगी।

आपात्कालीन स्थिति को देखते हुए स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किये गये थे। किन्तु आज स्थिति बदल चुकी है। इस विधेयक को पारित करके १० लाख लोगों को आजीविका कमाने से वंचित किया जा रहा है। एक महिला सदस्या के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह इसे वापिस ले ले।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : I welcome the proposed measure. So far as women Members are concerned, they oppose this measure simply because of their age-old love of ornaments. But who can deny the fact that the poor people are being exploited and women folk are being exploited and befooled so far as gold is concerned. If any body opposes this Bill in the name of traditions, it is really surprising.

[Shrimati Subhadra Joshi]

The Communist party members had expressed their opinion in favour of taking out the underground gold, but when an attempt is being made towards that direction, they surprisingly enough oppose this measure. Shri Yashpal Singh said that the proposed Bill is an insult to the 44 crore people. I want to ask whether all these people possess gold? A few people really possess gold in our country. It is unfair to oppose such a progressive measure in the interest of a few rich people.

It has also wrongly been said that the Government is attempting to interfere in the places of worship. This is not a new slogan. As people were robbed of gold in the names of Gods and Goddesses, so are they now being befooled in the names of places of worships and traditions.

It is also unfair to say that the people will be deprived of their fundamental rights by enacting this legislation. No doubt the individual rights will be affected by the advancement of socialism. But this Bill has been opposed in the interest of the fundamental rights of a few people and not of the masses.

Whenever any lacunae is found in any enacted legislation, it is imperative and proper to make amendments in that subsequently. The proposed measure is also of that type, and is aimed at removing certain lacunae. Therefore this should be passed.

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : सभापति महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी करने का अभिप्राय अत्यंत नेक था। यह आदेश सोने का तस्कर व्यापार रोकने तथा लोगों द्वारा छिपाये गये सोने को बाहर निकालने के उद्देश्य से जारी किया गया था। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हम इस उद्देश्य में जरा भी सफल नहीं हो सके हैं।

हमारे देश में लोगों का सोने के प्रति अपार मोह है। वे धन को सोने के रूप में अपने पास रखने का सबसे अधिक सुरक्षित तरीका समझते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लोगों द्वारा छिपाया हुआ सोना बाहर निकले तो हमें लोगों को, विशेषरूप से महिलाओं को, शिक्षित करना होगा और उन्हें बताना होगा कि धन सोने के बजाय अन्य कार्यों में लगाना अधिक लाभदायक है। जब तक हम यह नहीं करते हैं तब तक लोग सोने के प्रति मोह नहीं छोड़ सकते हैं।

यह सच है कि दो महिला सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि यह देश की सम्पूर्ण महिलावर्ग की विचारधारा है, गत वर्षों में जितने भी सुधार संबंधी कार्य किये गये हैं, उन्हें प्रभावीरूप से लागू करने के लिए काफी प्रचार तथा लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पड़ी है। प्रस्तुत विधेयक को भी प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भी हमें यही तरीका अपनाना होगा।

कोई अच्छा कानून बनाने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक उसे प्रभावीरूप से लागू नहीं किया जाता है। प्रस्तुत चर्चाधीन विधेयक की भी यही स्थिति है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग इस विधेयक की अवहेलना करेंगे। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें लोग प्रसन्नतापूर्वक इस विधेयक को स्वीकार कर लें।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप लाखों स्वर्णकार बेकार हो गये हैं। यद्यपि सरकार ने उन्हें फिर से रोजगार देने के लिए कुछ सहायता दी है, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें और अधिक सहायता देने की आवश्यकता है।

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक की शाखायें खोलनी चाहिए जिससे लोग अपनी बचत को सोना खरीदने में न लगाकर बैंक में जमा कर सकें ।

प्रस्तुत विधेयक के उपबंधों में कुछ इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए जिससे लोग उन्हें आसानी से स्वीकार कर लें ।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैंने स्वर्ण नियंत्रण आदेश का विरोध किया था क्योंकि सरकार के लिए भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी नहीं करना चाहिए था । सरकार द्वारा जिस उद्देश्य के लिए यह आदेश जारी किया गया था उनमें से एक में भी सफलता नहीं मिली । स्वर्ण नियंत्रण आदेश नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करता है अतः इस आदेश को विधेयक का रूप देकर पारित नहीं करना चाहिए ।

हमारे देश में अभी सामाजिक सुरक्षा संबंधी साधनों की कमी है । स्वर्ण नियंत्रण के संबंध में सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश के गरीब और असहाय लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक अच्छा साधन है । वे बुरे दिन आने पर सोने के सहारे अपना काम चला सकते हैं । सरकार जब तक देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं करती है और प्रत्येक निर्धन के पालन पोषण तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं नहीं लेती है तब तक यह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए ।

विधेयक के उपबंध जिस रूप में रखे गये हैं उससे कोई परिणाम नहीं निकल सकता है । बड़े-बड़े पूंजीपति जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सोना जमा पड़ा है उसकी मात्रा और अधिक बढ़ती जायेगी । सरकार उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि कानून के हाथ उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं । इस विधेयक से ईमानदार और निर्धन जनता, जिसके पास थोड़ी मात्रा में सोना पड़ा है । बहुत कठिनाई में पड़ जायेंगे । उनके लिए भविष्य के लिए कोई सहारा नहीं रह जायेगा ।

एक ओर तो सरकार देश से गरीबी और बेकारी को दूर करना चाहती है दूसरी ओर स्वर्ण नियंत्रण आदेश से स्वर्णकारों को उनके परम्परागत व्यवसाय से वंचित कर दिया है । इससे लाखों की संख्या में लोग बेकार हो गये हैं । प्रस्तुत विधेयक इस बेरोजगारी में और वृद्धि करेगा । सरकार इन लोगों को दूसरा रोजगार देने में असमर्थ रही है ।

यह सराहनीय बात है कि धार्मिक संस्थाओं को स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है । किन्तु पिछले अनुभव से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इन स्थानों पर धन का बहुत दुरुपयोग होता है । भयानक अनियमितताओं के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को, लोगों की धार्मिक आस्था को किसी प्रकार की चोट पहुंचाये बिना इस संबंध में कोई प्रभावी कार्य करना चाहिए ।

प्रस्तुत विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय छोटी बातों का ध्यान भी रखा गया । उदाहरणार्थ अवैध रूप से सोना पकड़ने की अवस्था में वह पशु भी पकड़ा जायेगा जिस पर सोना लादा गया है ।

माननीय मंत्री का यह सोचना गलत है कि वे सोने के मूल्य को कम करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर लोगों को सोना उपलब्ध कर सकेंगे क्योंकि जिन लोगों को चोरबाजार में सोने का अधिक मूल्य मिल सकता है वे कम मूल्य पर सोना कभी नहीं बेचेंगे ।

[श्री दी० चं० शर्मा]

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इससे गरीब जनता मारी जायेगी। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है यदि वे इस विधेयक को वापिस नहीं भी लेना चाहते हैं तो कम से कम इसमें संशोधन अवश्य किये जायें।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : गत महायुद्ध में कुछ कानून बनाये गये थे जिन्हें युद्धकालीन बच्चे कहा जाता था। ऐसा ही यह बच्चा चीन के आक्रमण काल में पैदा हुआ स्वर्ण नियंत्रण आदेश था। इसका बहुत बुरा प्रभाव रहा है और इसकी लुके छिपे तथा खुल्लम खुल्ला दोनों तरह अवहेलना की जायेगी तथा इसकी उपेक्षा भी की जायगी। इसलिए इस प्रकार की विधि को संविधि पुस्तक में रखने का कोई लाभ नहीं।

मैं प्रमाणित रूप से जानता हूं कि मद्य निषेध का महाराष्ट्र में घोर उल्लंघन हुआ है जिससे ७ लाख मुकदमे चले ४½ अपराधी ठहराये गये और ६ लाख लोगों के खून का परीक्षण किया गया। अनुमान लगाईये इस खून के परीक्षण पर डाक्टरों का कितना अधिक समय नष्ट हुआ होगा।

हम सोने के तस्कर व्यापार की अभी तक कोई रोक थाम नहीं कर सके। बम्बई की प्रेमचन्द रामचन्द नाम की फर्म करोड़ों रुपये के सोने का तस्कर व्यापार करती है। यदि उस पर कभी दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया तो उससे क्या अन्तर पड़ता है। हम तस्कर व्यापार के विरुद्ध कानून को उस रूप में लागू नहीं कर रहे जिस रूप में आना चाहिए। हवाई अड्डों पर १०० व्यक्ति भी तो ईमानदार नहीं। यदि कोई ईमानदार अधिकारी है तो उच्च अधिकारी उसके विरुद्ध लिखते हैं और उसका तबादला कर देते हैं। दोनों तरह स्थिति खराब है। अतः कानून को अधिक सख्ती के साथ लागू करना चाहिये।

लोगों में सोने के प्रति बहुत मोह है और उनसे सोना नहीं छीना जा सकता विशेषतः गांव की स्त्रियों से जिन के पास एक आध चूड़ी ही होती है। मैं आधुनिक फैशन की महिलाओं की बात नहीं कहता। मैं तो गांव की और पहाड़ की महिलाओं की बात कह रहा हूं। उससे उसके थोड़े से जेवर छीन लेना अनुचित है। सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिये कि लोग कम से कम मूल्य पर न्यूनतम मात्रा में शुद्ध सोना खरीद सकें। यदि लोगों को २० या तीस तोले सोना रखने दिया जाय तो हर व्यक्ति अपने ऐसे पड़ौसी की शिकायत करने के लिए तैयार होगा जिसके पास ५०० तोले सोना होगा। इस से राष्ट्र का चरित्र निर्माण होगा अन्यथा जिस प्रकार मद्य निषेध के मामले में पुलिस में सरकार स्वयं भ्रष्टाचार पैदा किया है उसी तरह इस क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार अधिकाधिक फैलेगा।

रूस में महिलाएं बड़ी बड़ी घड़ियां बांधती हैं और उसे विपत्ति के समय के लिए आवश्यक समझती हैं। फ्रांस, अमरीका, जापान के खजानों में काफी सोना है। भले ही लोगों के पास नहीं है। हम सर्वथा गलत प्रक्रिया को अपना रहे हैं और हम इस तरह का कठोर जीवन लागू नहीं कर सकते क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

हम विधि निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिये कि विधि की भावना क्या है और क्या उसका सम्मान होगा या लोग तरह तरह के तरीके निकाल कर उसका उल्लंघन करेंगे।

स्वर्णकारों की आत्म हत्याओं के मामले बहुत चिन्ताजनक हैं जिनकी ओर न तो वित्त मंत्रालय ने और न ही राज्य सरकारों ने ध्यान दिया है और स्वर्णकारों के बच्चों और परिवारों को कोई सहायता नहीं दी।

हमें अपने देश में सोना तैयार करना चाहिये और ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि कारखानों में काम करने वाले लोग गर्व कर सकें ।

संयुक्त समिति से मेरा निवेदन है कि वे इस विधेयक की कठोरता को कम करें और लोगों को न्यूनतम सोना रखने की अनुमति दें । १४ कैरेट वाला मामला सर्वथा निरर्थक है । विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ । सोने को या तो शुद्ध रखिये या न रखिये ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कल उत्तर दें ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार ५ जून १९६४/ १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 5th June, 1964/Jyaistha 15, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—812 (Ai) LSD—17-7-64—600.